

अध्याय-4: आर्थिक खण्ड (पी एस यूज)

4ई सामान्य प्रस्तावना

4.1.1 खण्ड के पुनर्गठन के अन्तर्गत, सामाजिक, सामान्य, राजस्व एवं आर्थिक क्षेत्र के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों (सा क्षे उ) को एक साथ आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत मिला दिया गया है, जिसमें 20 विभाग शामिल हैं। इस खण्ड के कुछ मुख्य विभाग उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ग्रामीण एवं लघु उद्योग आदि हैं। राज्य में कुल 22 कम्पनियाँ एवं 2 सांविधिक निगम हैं। राज्य की कार्यरत सा क्षे उ की स्थापना लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों को चलाने हेतु की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य की सा क्षे उ राज्य की अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थान रखती हैं। सितम्बर 2012 तक उनके अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार राज्य के सा क्षे उ ने वर्ष 2011-12 के लिए ₹3258.60 करोड़ का कारोबार किया (**परिशिष्ट 4.1**)। उनका कारोबार राज्य के वर्ष 2011-12 के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) ₹60898 करोड़ के 5.35 प्रतिशत के बराबर था। राज्य के सा क्षे उ की मुख्य गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में संकेन्द्रित हैं। कार्यरत सा क्षे उ ने 2011-12 (**परिशिष्ट 4.1**) में ₹562.75 करोड़ की हानि वहन की। इनमें (सा क्षे उ) 31 मार्च 2012 तक 18,329¹ कर्मचारी कार्यरत थे।

31 मार्च 2012 को 24 सा क्षे उ थे, जिनका विवरण नीचे **तालिका-4.1.1** में दिया गया है।

तालिका 4.1.1

सा क्षे उ के प्रकार	कार्यरत सा क्षे उ	अकार्यरत सा क्षे उ ²	योग
सरकारी कम्पनियाँ ³	18	04 ⁴	22
सांविधिक निगम	02	-	02
योग	20	04	24

इनमें से कोई भी कम्पनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं थी।

4.1.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अधीन सम्पादित की जाती है। धारा 617 के अनुसार, सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार/सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूँजी लगी होती है। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी जिसकी कम से कम 51 प्रतिशत दत्त पूँजी पर सरकार/ सरकारों, सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों के किसी भी सम्मिश्रण का नियंत्रण हो उसे कम्पनी अधिनियम की धारा 619- ब के तहत सरकारी कम्पनी के तुल्य (मानी गई सरकारी कम्पनी) समझा जाता है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों, जो कि 1956 के कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (नि म ले) द्वारा नियुक्त किये

¹ विवरण 16 सा क्षे उ द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।

² अकार्यरत सा क्षे उ वे हैं जिनकी प्रचालन कार्यविधियाँ बंद कर दी गई हैं।

³ 619-ब कम्पनी शामिल हैं।

⁴ कुम्हौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, हिल्स फोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टस लिमिटेड, यू पी ए आई लिमिटेड (31 मार्च 1991 से परिसमापन में)।

जाते हैं, के द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ब) के प्रावधानों के अनुसार नि म ले द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके अपने विधानों द्वारा नियंत्रित होती हैं। राज्य के दो सांविधिक निगमों में से उत्तराखण्ड परिवहन निगम के लिये नि म ले एकमात्र लेखापरीक्षक है। उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले को वर्ष 2003-04 से 2008-09 तक के लिए सौंपा गया था जिसे नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 तक विस्तारित किया गया है।

4.1.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षेत्र 3) में निवेश

31 मार्च 2012 को 24 सा क्षेत्र 3 (619-ब कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए) का कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 6721.16 करोड़ था, जिसका विवरण तालिका 4.1.2 में दिया गया है।

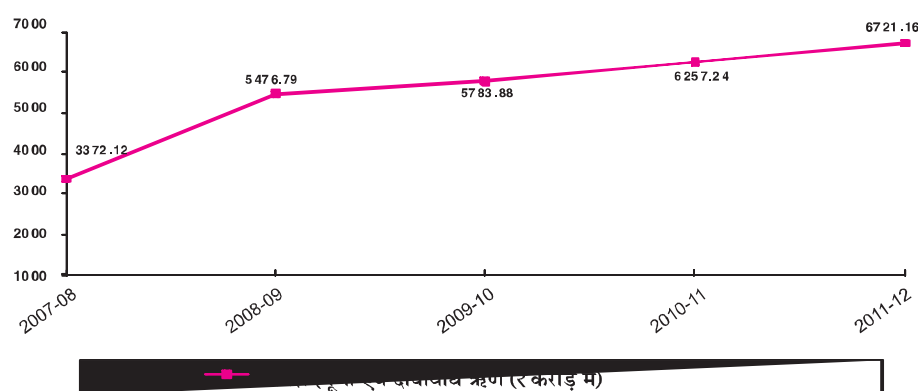
तालिका 4.1.2

(₹ करोड़ में)

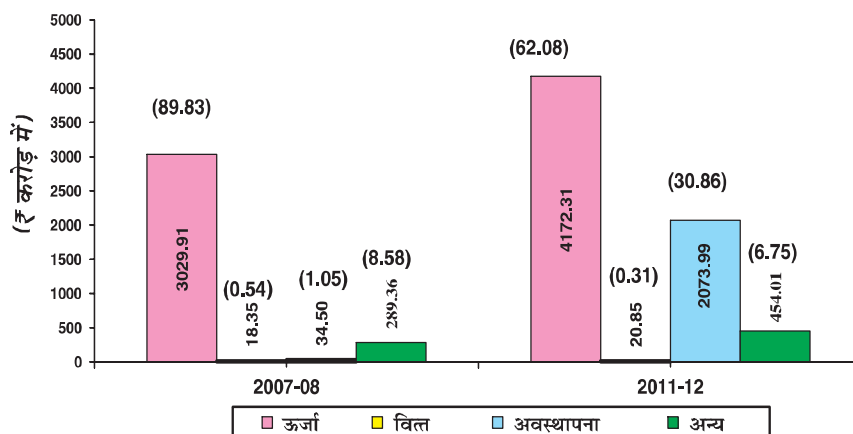
सा क्षेत्र 3 के प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत सा क्षेत्र 3	1726.07	2755.96	4482.03	2111.59	127.16	2238.75	6720.78
अकार्यरत सा क्षेत्र 3	0.38	-	0.38	-	-	-	0.38
योग	1726.45	2755.96	4482.41	2111.59	127.16	2238.75	6721.16

राज्य सा क्षेत्र 3 में सरकारी निवेश का विवरण परिशिष्ट 4.2 में दिया गया है।

31 मार्च 2012 को, राज्य सा क्षेत्र 3 में कुल निवेश का 99.99 प्रतिशत कार्यरत सा क्षेत्र 3 में एवं शेष 0.01 प्रतिशत अकार्यरत सा क्षेत्र 3 में था। कुल निवेश में 57.10 प्रतिशत पूँजी तथा 42.90 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण था। यह निवेश वर्ष 2007-08 के ₹ 3372.12 करोड़ से 99.32 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 6721.16 करोड़ हो गया जैसा कि निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है।



31 मार्च 2008 एवं 31 मार्च 2012 के अन्त में अर्थव्यवस्था के विभिन्न मुख्य क्षेत्रों में निवेश एवं उनके प्रतिशत निम्न बार चार्ट में दर्शाए गए हैं। यद्यपि, मुख्य निवेश (62.08 प्रतिशत) ऊर्जा क्षेत्र में था, राज्य में निवेश का जोर मुख्यतः अवस्थापना क्षेत्र की ओर उन्मुख था जिसका प्रतिशत वर्ष 2007-08 के 1.05 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 30.86 प्रतिशत हो गया।



(कोष्ठकों में आँकड़े कुल निवेश पर खण्डों में निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

4.1.4 बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/ उपदान, गारंटियाँ एवं ऋण

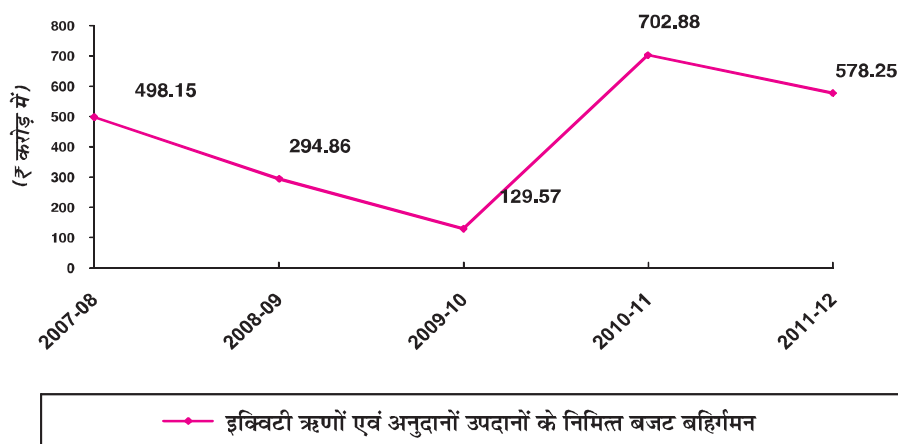
राज्य के सा क्षेत्र से सम्बन्धित इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/ उपदान तथा गारण्टी हेतु बजट से बहिर्गमन का विवरण परिशिष्ट 4.3 में दिया गया है। 31 मार्च 2012 को समाप्त तीन वर्षों का सार तालिका - 4.1.3 में नीचे दिया गया है।

तालिका 4.1.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		सा क्षेत्र की संख्या	राशि	सा क्षेत्र की संख्या	राशि	सा क्षेत्र की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूँजी बहिर्गमन	3	104.01	3	603.71	4	44.00
2.	बजट से ऋण बहिर्गमन	2	24.32	3	65.70	5	458.02
3.	अनुदानों/उपदान का बहिर्गमन	6	1.24	3	33.47	5	76.23
4.	कुल बहिर्गमन (1 + 2 + 3)	-	129.57	5	702.88	-	578.25
5.	जारी की गई प्रतिभूतियाँ	2	277.54	2	279.98	1	1.35
6.	प्रतिभूति वचनबद्धता	3	1,428.81	3	289.75	5	1110.90

इक्विटी, ऋणों एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजट बहिर्गमन का पिछले पाँच वर्षों का विवरण निम्न ग्राफ में दिया गया है:



राज्य की सा क्षेत्र द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त इक्विटी, ऋण एवं अनुदानों/उपदानों के निमित्त बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 498.15 करोड़ से ₹ 578.25 करोड़ हो गया था।

31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष में प्रतिभूति वचनबद्धता की राशि ₹ 1428.81 करोड़, (तीन सा क्षेत्र) की थी, जो 31 मार्च 2011 को घटकर ₹ 289.75 करोड़ (तीन सा क्षेत्र) हो गयी तथा 31 मार्च 2012 को बढ़कर ₹ 1110.90 करोड़ (पाँच सा क्षेत्र) तक हो गई जैसा कि **परिशिष्ट 4.3** में वर्णित है। राज्य सरकार ने सभी सा क्षेत्र से एक प्रतिशत की दर से तथा भुगतान न करने वाले सा क्षेत्र से दो प्रतिशत की दर से प्रतिभूति शुल्क भारत किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान दो सा क्षेत्र (उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड तथा उत्तराखण्ड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा ₹ 11.03 करोड़ के प्रतिभूति शुल्क राज्य सरकार को भुगतान किए गए।

4.1.5 सरकार के वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा क्षेत्र के अभिलेखों के अनुसार इक्विटी, ऋणों एवं बकाया प्रतिभूतियों के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे में दर्शाए गए आँकड़ों से मिलने चाहिए। आँकड़ों के मिलान न हो पाने पर, सम्बन्धित सा क्षेत्र एवं वित्त विभाग को अन्तर्गत का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2012 को इनकी स्थिति नीचे **तालिका-4.1.4** में दी गई है:

तालिका - 4.1.4			(₹ करोड़ में)
से सम्बन्धित बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सा क्षेत्र के अभिलेख के अनुसार राशि	अन्तर
इक्विटी	1760.02	3837.66	2077.64
ऋण	674.89	2883.11	2208.22
प्रतिभूतियाँ	1187.45	1110.90	76.55

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 20 सा क्षेत्र के आँकड़ों में अन्तर था और इनमें से कुछ के अन्तरों का मिलान 2003 से लम्बित था। राज्य सरकार एवं सा क्षेत्र को अन्तरों के मिलान के लिए समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए।

4.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षेत्र) की कार्यकुशलता

सा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट 4.1** में निर्दिष्ट हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) से सा क्षेत्र के कुल कारोबार का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सा क्षेत्र की गतिविधियों के विस्तार को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की समयावधि के लिये कार्यरत सा क्षेत्र के कारोबार एवं राज्य स घ उ का विवरण नीचे **तालिका 4.1.5** में दर्शाया गया है।

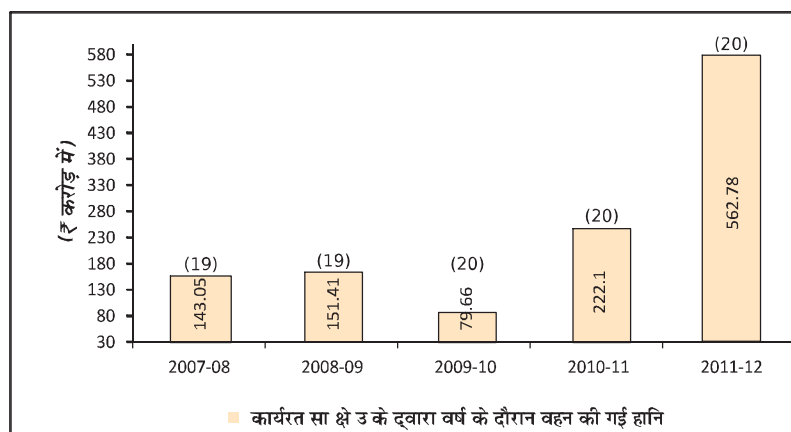
तालिका - 4.1.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कारोबार ⁵	1,481.94	1,527.06	1,722.95	2,539.52	3,258.60
राज्य स घ उ	34,549.00	40,159.00	46,872.00	52,143.00	60,898.00
कारोबार का राज्य स घ उ से प्रतिशत	4.29	3.80	3.68	4.87	5.35

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स घ उ) पर कारोबार का प्रतिशत 2007-08 में 4.29 प्रतिशत से 2009-10 में 3.68 प्रतिशत होकर घट गया था तथा 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान इसने क्रमशः 4.87 प्रतिशत तथा 5.35 प्रतिशत की वृद्धि की।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में राज्य के कार्यरत सा क्षेत्र को हुई हानि को निम्न बार चार्ट में दर्शाया गया है।



(कोष्ठकों के आँकड़े सम्बन्धित वर्षों के दौरान कार्यरत सा क्षेत्र की संख्या को दर्शाते हैं)

⁵ 30 सितम्बर 2011 के नवीनतम अन्तिमकृत लेखों के अनुसार कारोबार।

बार चार्ट से यह दृष्टिगत है कि कुल हानि वर्ष 2007-08 के ₹ 143.05 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 562.78 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011-12 के दौरान 20 कार्यरत सा क्षेत्रों में से आठ सा क्षेत्रों ने ₹ 60.72 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 12 सा क्षेत्रों को ₹ 623.47 करोड़ की हानि हुई। स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (₹ 33.38 करोड़) एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 17.23 करोड़) लाभ अर्जित करने वाले मुख्य सा क्षेत्र थे। उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 527.48 करोड़), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (₹ 37.58 करोड़) डोईवाला शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 16.22 करोड़) एवं पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) (₹ 9.50 करोड़), हानि उठाने वाले मुख्य सा क्षेत्र थे।

सा क्षेत्रों को हानि मुख्यतः वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, परियोजना के कार्यान्वयन, उनके परिचालन एवं अनुश्रवण की कमियों के कारण हुई। नि म ले की नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य सा क्षेत्रों ने ₹ 2319.60 करोड़ की हानि वहन की एवं ₹ 7.12 करोड़ का अलाभकारी निवेश बेहतर प्रबन्धन द्वारा नियन्त्रित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका - 4.1.6 में दिया गया है।

तालिका - 4.1.6 (₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
शुद्ध लाभ (हानि)	(-)79.66	(-) 221.62	(-) 562.77	(-) 864.05
नि म ले के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार ऐसी हानि जिनसे बचा जा सकता था	1,283.32	711.76	324.52	2319.60
अलाभकारी निवेश	-	6.29	0.83	7.12

नि म ले के प्रतिवेदनों में इंगित की गई उक्त हानि सा क्षेत्रों के अभिलेख की नमूना जाँच पर आधारित हैं। उपर्युक्त स्थिति सा क्षेत्रों की कार्यप्रणाली में व्यवसायिकता एवं जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

राज्य सा क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय परिसीमाएँ जैसे-नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण, कारोबार आदि नीचे तालिका-4.1.7 में दिए गए हैं।

तालिका - 4.1.7 (₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	-	-	0.96	0.98	-
ऋण	2356.08	2387.65	2588.39	2,465.29	2883.12
कारोबार ⁶	1481.91	1527.06	1722.95	2,539.52	3258.60
ऋण/कारोबार अनुपात	1.59:1	1.56:1	1.50:1	0.97:1	0.88:1
ब्याज अदायगियाँ	158.78	156.53	124.82	271.63	288.64
संचित हानियाँ (-)	(-)291.71	(-) 283.60	(-) 420.39	(-) 807.79	(-) 1905.97

(कारोबार के अन्तर्गत दर्शाए गए आँकड़े जो केवल कार्यरत सा क्षेत्रों के हैं, को छोड़कर अन्य आँकड़े सभी सा क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं)

⁶ कार्यरत सा क्षेत्रों के कारोबार उनके 30 सितम्बर 2011 तक के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखों के अनुसार।

यह देखा जा सकता है कि ऋण के आँकड़े 2007-08 में ₹ 2,356.08 करोड़ से 2009-10 में ₹ 2,588.39 करोड़ के बीच बढ़ते क्रम में रहा, परन्तु 2010-11 में मामूली सी गिरावट आई तथा आगे 2011-12 में बढ़कर ₹ 2,883.12 करोड़ हो गया। ऋण-कारोबार अनुपात 2007-08 में 1.59:1 से घटकर 2011-12 में 0.88:1 हो गया था क्योंकि कारोबार वृद्धि दर ऋण वृद्धि दर से आगे बढ़ गयी थी। संचित हानि 2007-08 के ₹ 291.71 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1905.97 करोड़ हो गई।

राज्य सरकार ने सा क्षेत्र के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी जिसके अन्तर्गत सभी सा क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई दत्तांश पूँजी पर न्यूनतम लाभांश प्रतिफल का भुगतान आवश्यक होता। उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार आठ सा क्षेत्र ने ₹ 60.72 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, परन्तु उनके द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं की गयी।

4.1.7 लेखे के अन्तिमकरण में बकाया

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 और 619-ब के अन्तर्गत सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के अन्दर कम्पनियों के प्रत्येक वर्ष के लेखे को अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामले में उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाना, लेखापरीक्षा एवं विधायिका को प्रस्तुत करना, उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता है। कार्यरत सा क्षेत्र के द्वारा सितम्बर 2012 तक लेखे को अंतिम रूप दिये जाने की प्रगति का विवरण निम्न तालिका 4.1.8 में दर्शायी गई है:

तालिका-4.1.8

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यरत सा क्षेत्र की संख्या	19	20	20	20	20
2.	वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखे की संख्या	10	13	12	28	15
3.	बकाया लेखे की संख्या	128	135	143	135	140
4.	प्रत्येक सा क्षेत्र के अनुसार औसत बकाया (3/1)	6.74	6.75	7.15	6.75	7
5.	कार्यरत सा क्षेत्र जिनके लेखे बकाया हैं	19	20	20	19	20
6.	बकाए की अवधि	1 से 21 वर्ष	1 से 22 वर्ष	1 से 23 वर्ष	1 से 24 वर्ष	1 से 25 वर्ष

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान लेखाओं के अंतिमीकरण में बकाया 128 से 143 के बीच था। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के दौरान राज्य सा क्षेत्र औसतन एक भी लेखाओं को निपटाने में असफल रही जिस कारणवश बकाये में बढ़ोत्तरी हुई। सा क्षेत्र के अनुसार लेखे के अंतिमीकरण में हुई देरी का मुख्य कारण, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी थी। राज्य सा क्षेत्र को पिछले लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे स्थिति को अद्यतन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, अकार्यरत सा क्षेत्र के लेखे भी अंतिम रूप दिये जाते हेतु बकाया थे। चार अकार्यरत सा क्षेत्र में से, एक उपक्रम जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से परिसमापन की प्रक्रिया में थी तथा शेष तीन अकार्यरत सा क्षेत्र⁷ के लेखे, 21 से 25 वर्षों से बकाया थे।

⁷ कुम्ह्रौन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, हिल फोन्स लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टर्स लिमिटेड।

राज्य सरकार ने वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान पाँच सा क्षेत्रों में ₹ 1168.42 करोड़ का निवेश किया था (इक्विटी: ₹ 624.54 करोड़, ऋण: ₹ 522.33 करोड़ तथा अनुदान/ उपदान ₹ 21.55 करोड़), जिनके लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था, उनका विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दिया गया है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं के उल्लंघन के अतिरिक्त लेखाओं को अन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी एवं लोकधन के दुरुपयोग होने का जोखिम हो सकता है।

प्रशासनिक विभागों का दायित्व है कि इन इकाईयों की क्रियाकलापों का निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन सा क्षेत्रों के लेखों को निर्धारित समय सीमा में अन्तिम रूप दिया जाये तथा स्वीकार किये जायें। उपरोक्त **तालिका 4.1.8** से यह देखा जा सकता है कि कार्यरत सा क्षेत्रों के लेखाओं के अन्तिमीकरण में बकायों की मात्रा 2007-08 के 128 से बढ़कर 2011-12 में 140 तक हो गई। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इस प्रकरण को सभापति, सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) उत्तराखण्ड के माध्यम से विभागों के विभागाध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया (29 जून 2011) जिससे कि लेखाओं के बकाया का शीघ्रता से परिसमापन किया जा सके।

4.1.8 अकार्यरत सा क्षेत्रों का समापन

31 मार्च 2012 के अनुसार चार अकार्यरत सा क्षेत्रों थे। इनमें से, एक सा क्षेत्रों ने परिसमापन की प्रक्रिया चालू की है।

अकार्यरत सा क्षेत्रों के बन्द होने के चरणों को नीचे दी गई **तालिका 4.1.9** में दिया गया है:

तालिका - 4.1.9

क्र.सं.	विवरण	कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
1.	कुल अकार्यरत सा क्षेत्रों की संख्या	04 ⁸	-	04
2.	उक्त (1) में से निम्न संख्या	-	-	-
(अ)	न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	01 ⁹	-	01
(ब)	स्वैच्छिक समापन (परिसमापक नियुक्त)	-	-	-
(स)	बन्दीकरण अर्थात् बन्द करने के आदेश/ निर्देश जारी परन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई	03	-	03

वर्ष 2011-12 के दौरान, कोई भी कम्पनी/ निगम अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुए थे। एकमात्र कम्पनी अर्थात् यू पी ए आई लिमिटेड है, जिसने न्यायालय के आदेशानुसार समापन का मार्ग अपनाया था, 20 वर्षों से अधिक समय से परिसमापन के अधीन थी। कम्पनी अधिनियम के अधीन स्वैच्छिक बन्दीकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्रतर है तथा इसे सशक्त रूप से अपनाने/ अनुसरण करने की आवश्यकता है। सरकार अपनी अकार्यरत कम्पनियों को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार करें।

4.1.9 लेखा टिप्पणियाँ और आन्तरिक लेखापरीक्षा

वर्ष 2011-12 के दौरान सात कार्यरत कम्पनियों ने अपने 14 लेखापरीक्षित लेखों (प्र म ले) को अग्रेषित किए। 30 सितम्बर 2012 तक 12 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया तथा दो कम्पनियों को गैर-

⁸ कुम्हट्रोन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड, उत्तर प्रदेश हिल्स क्वार्टर्स लिमिटेड तथा यू पी ए आई लिमिटेड।

⁹ कम्पनी जो कि यू पी ए आई लिमिटेड है, 31 मार्च 1991 से समापन की प्रक्रिया में थी।

समीक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया। नि म ले द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं नि म ले की पूरक लेखापरीक्षा इंगित करती है कि लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और नि म ले की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे तालिका-4.1.10 में दिया गया है।

तालिका-4.1.10

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	4	168.70	7	174.57	3	26.04
2.	हानि में वृद्धि	7	16.19	7	247.12	6	234.81
3.	आर्थिक तथ्यों को उदघोषित न किया जाना	3	169.52	6	1251.59	2	11.41

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक कम्पनी अर्थात् उत्तराखण्ड राज्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (यू एस आई डी सी) के वर्ष 2009-10 की लेखा को छोड़कर, सभी 13 लेखाओं को अर्हता प्रमाणपत्र प्रदान किए।

सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (2009-10)

- भा जी बी नि के ऋण रकम पर मूल धन तथा ब्याज की वापसी में चूक के लिए दण्डात्मक ब्याज का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप अनारक्षित ऋण, देय ब्याज का अधोविवरण तथा ₹ 3.68 करोड़ के लाभ का अधिविवरण हुआ।
- सोबलाना परियोजना, जो एन एच पी सी परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गयी, पर किया गया व्यय ₹ 1.63 करोड़ का प्रावधान न किये जाने के कारण उतनी ही राशि के चालू पूँजीगत कार्य तथा लाभ प्रत्येक में ₹ 1.63 करोड़ का अधिविवरण हुआ।
- उत्तरप्रदेश सिंचाई विभाग को 2001 से मार्च 2011 की अवधि के लिए जारी ₹ 10.21 करोड़ के देयक विद्युत शुल्क, जिसकी वसूली संदेहास्पद थी, का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप लाभ के साथ-साथ विविध देनदार मद में उतनी ही राशि का अधिविवरण हुआ।

उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2009-10)

- सरकार को देय दण्डात्मक गारंटी शुल्क का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप हानि तथा चालू देयताएँ मद में ₹ 10.40 करोड़ का अधोविवरण हुआ।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को निर्गमित कर-मुक्त पावर बॉण्ड्स पर वर्ष 2006-07 और 2009-10 के लिए ब्याज के दायित्व का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप विविध लेनदार एवं हानि में ₹ 66.52 करोड़ का अधोविवरण हुआ।

यू पी हिल इलेक्ट्रानिक लिमिटेड (1997-98)

- विविध देनदार पर जो 18 वर्ष पुराने थे, उन पर डूबत एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप विविध देनदारों का अधिविवरण तथा ₹ 1.16 करोड़ का हानि का अधोविवरण दर्शाया गया।

पाँवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (2010-11)

- सरकार को देय दण्डात्मक गारंटी शुल्क का प्रावधान न होने के परिणामस्वरूप चालू देयताएँ मद का अधोविवरण तथा ₹ 3.30 करोड़ का लाभ का अधिविवरण हुआ।
- ठेकेदार को दिए गए सात वर्ष से भी पुराने विविध अग्रिम, जिनकी वसूली संदिग्ध है, का प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ऋण एवं अग्रिम मद में ₹ 3.10 करोड़ का अधिविवरण तथा उतनी ही धनराशि की हानि का अधोविवरण हुआ।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, जिसकी लेखापरीक्षा नि म ले को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अनुसार सौंपी गयी, के एक वर्ष (2010-11) के लेखे को वर्ष 2011-12 के दौरान अन्तिम रूप दिया गया। नि म ले की टिप्पणियों के 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे तालिका-4.1.11 में दिया गया है:

तालिका-4.1.11

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखे की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि	लेखे की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	5	40.84	-	-
2.	हानि में बढ़ोत्तरी	1	2.11	5	5.25	1	24.11
3.	आर्थिक तथ्यों को उदघोषित न किया जाना	-	-	3	23.73	-	-
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	370.30	-	-	1	0.47

सांविधिक निगम अर्थात् उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड के वर्ष 2010-11 के लेखाओं के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

- उत्तराखण्ड सरकार से वर्ष 2002-03 से 2008-09 के दौरान ₹ 21.02 करोड़ के ऋण पर ₹ 15.76 करोड़ के ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देयताओं तथा घाटों पर ₹ 15.76 करोड़ का अधोविवरण हुआ।
- उ प्र जल निगम को देय ₹ 0.90 करोड़ (वर्ष 2006-07 तक) के ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप देयताओं तथा घाटों पर ₹ 0.90 करोड़ का अधोविवरण हुआ।
- निगम द्वारा सामान्य भविष्य निधि से प्राप्त ब्याज ₹ 6.69 करोड़ को अपनी आय के रूप में दर्शाया गया, जो लेखा नियम/ प्रचलन के विरुद्ध है। ब्याज पर प्राप्त आय को पृथक से दर्शाया जाना चाहिए था।

4.1.10 आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत नि म ले द्वारा जारी किए गये निर्देशानुसार, लेखापरीक्षित कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स) को चाहिए कि आन्तरिक नियंत्रण/ आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सम्मिलित करते हुए विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें, जहाँ सुधार की आवश्यकता थी। वर्ष 2011-12 में 14 कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा/ आंतरिक नियंत्रण तंत्र में संभावित सुधारों पर की गई मुख्य टिप्पणियों का व्याख्यात्मक ब्यौरा नीचे तालिका-4.1.12 में दिया गया है:

तालिका - 4.1.12

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिन पर अनुशंसाएँ की गईं	परिशिष्ट-5.2 के अनुसार कम्पनी के क्रमांक का संदर्भ
1.	भण्डार व कलपुर्जों की न्यूनतम/अधिकतम सीमा का निर्धारण न करना	3	A2, A10, A14,
2.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यापार के आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा तन्त्र का अभाव	6	A5, A10, A13, A14 , A2 & A17
3.	मात्रात्मक विवरण, परिस्थितियाँ, पहचान संख्या, अधिग्रहण की तिथि, स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्य हास की कीमत एवं उनकी स्थिति आदि को शामिल करते हुए पूर्ण विवरण को दिखाने वाले अभिलेख का रख रखाव न करना	6	A5, A2, A10, A13, A14 & A12

4.1.11 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति

उत्तराखण्ड परिवहन निगम की लेखापरीक्षा राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 की धारा 33 (2) के अन्तर्गत की जाती है जबकि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की लेखापरीक्षा नि म ले को उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम, 1975 की धारा 52 (3) के अन्तर्गत सौंपी गई है। नि म ले द्वारा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प प्रति) का सरकार द्वारा विधायिका को प्रस्तुतिकरण की स्थिति को नीचे तालिका-4.1.13 में दर्शाया गया है:

तालिका - 4.1.13

क्र.सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिनके लिए पृ ले प प्रति विधायिका को प्रस्तुत नहीं किए गए		
			पृ ले प प्रति का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि	विधानसभा में प्रस्तुतिकरण में विलम्ब के कारण
1.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2004-05	2005-06 से 2008-09	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम	2009-10	2010-11	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

पृ ले प प्रतिओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब सांविधिक उपक्रमों पर विधायिका के नियन्त्रण को कमजोर करती है, तथा उन उपक्रमों की वित्तीय जवाबदेयता भी कम हो जाती है।

4.1.12 सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण एवं पुनर्गठन

राज्य सरकार ने किसी भी सा क्षेत्र के विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन की कोई योजना नहीं बनायी थी।

4.1.13 ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

राज्य में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 17 के अन्तर्गत सितम्बर 2002 को गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) का उद्देश्य विद्युत दरों को तर्कसंगत बनाना, राज्य में विद्युत उत्पादन, संचारण एवं वितरण से संबंधित मामलों में परामर्श देना तथा लाइसेंस जारी करना है। वर्ष 2011-12 के दौरान उ वि नि आ द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं पर दो आदेश तथा 17 आदेश अन्य मामलों में जारी किये गए थे।

4 एफ. लेखापरीक्षा निष्कर्ष

मुख्य अंश

"पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड" की निष्पादन लेखापरीक्षा

- वर्ष 2007-08 के आरम्भ में कम्पनी के पारेषण नेटवर्क में 4390.50 मेगावोल्ट एम्पेयर (मे वो ए) पारेषण क्षमता तथा 1894 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) अतिउच्च तनाव पारेषण लाइनों सहित 30 अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) उपकेन्द्र थे जो कि बढ़ाकर 4990.50 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 2319.20 सी के एम अतिरिक्त उच्च तनाव पारेषण लाइनों के साथ 35 अतिरिक्त उच्च तनाव उपकेन्द्र कर दिए गए।
(प्रस्तर 4.2.8.1)
- उपकेन्द्रों के निर्माण में 15 से 17 महीनों का विलम्ब तथा लागत में ₹ 10.08 करोड़ की वृद्धि हुई। लाइनों के निर्माण में 8 से 40 महीनों की समय वृद्धि तथा लागत में ₹ 71.11 करोड़ की वृद्धि पायी गयी।
(प्रस्तर 4.2.9.1)
- श्रीनगर-सतपुली लाइन (51.70 सर्किट कि मी) तथा श्रीनगर II- सतपुली लाइन (64 सर्किट कि मी) के निर्माण में क्रमशः 391.30 प्रतिशत तथा 123.64 प्रतिशत व्यय करने के बाद भी इन्हें पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से 6 वर्ष तथा 7 वर्ष का विलम्ब हुआ।
(प्रस्तर 4.2.9.2)
- वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान विद्यमान पारेषण क्षमता 30 प्रतिशत निरर्थक को छोड़कर 1489.59 मेगा वोल्ट एम्पेयर से 1774.77 मे वो ए तक अधिक आगणित की गयी। कुछ निश्चित स्थानों पर अधिक भार तथा उच्च विद्युत प्रवाह (वोल्टेज) का होना पारेषण के नेटवर्क के सृजन में अवैज्ञानिक योजना को प्रतिबिम्बित करता है।
(प्रस्तर 4.2.10)
- कम्पनी ने नौ अवसरों पर ग्रिड अनुशासन का उल्लंघन किया (अप्रैल 2010) जिसके फलस्वरूप कम्पनी को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के वि नि आ) को नौ लाख रुपये के दण्ड का भुगतान करना पड़ा।
(प्रस्तर 4.2.14.4)
- आपदा प्रबन्धन (अ प्र) कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष एक मॉक ड्रिल किया जाना चाहिए था। तथापि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी द्वारा किसी उपकेन्द्र में कोई मॉक ड्रिल नहीं की गयी।
(प्रस्तर 4.2.15.1)
- कम्पनी की हानि में 85.19 प्रतिशत की पर्याप्त कमी आयी, यह हानि 2007-08 में ₹ 13.98 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 2.07 करोड़ हो गई। आगे, कम्पनी का ऋण-इक्विटी अनुपात 2007-08 से 2011-12 के दौरान 6.02:1 से घटकर 3.12:1 हो गया। ऋण-इक्विटी अनुपात में कमी का मुख्य कारण 2009-10 से तथा उससे आगे सरकारी ऋण का इक्विटी में परिवर्तन है।
(प्रस्तर 4.2.17.1)

- वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कम्पनी की प्रणाली उपलब्धता क्रमशः 99.24, 99.14 तथा 99.50 प्रतिशत रही। इस उत्कृष्ट निष्पादन के लिए, ऊर्जा मन्त्रालय, (एम ओ पी) भारत सरकार (जी ओ आई) ने कम्पनी को प्रणाली उपलब्धता के लिए स्वर्ण कवच (गोल्ड शील्ड) से पुरस्कृत किया (मार्च 2012)।

(प्रस्तर 4.2.19)

- यद्यपि वर्ष 2007-08 में कम्पनी का अन्तिम अवशेष भण्डार 22 महीने के उपभोग के लिए था, जो 2011-12 में बढ़कर 29 महीने के उपभोग के बराबर हो गया फिर भी न तो भण्डार का न्यूनतम/ अधिकतम स्तर निर्धारित किया और न ही मूल्य आधारित (ए बी सी स्तर) विश्लेषण किया अथवा सामग्री की आवश्यकता को पुनः क्रमित करने का स्तर निर्धारित किया।

(प्रस्तर 4.2.20.2)

- उपखण्डों तथा लाइनों के वार्षिक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वर्षवार संचयी निष्पादन अभिलेख न तो संधारित और न ही समेकित किए जा रहे थे। पारेषण प्रणाली की लाइनों तथा उपकेन्द्रों के निष्पादन में सुधार के लिए उठाये गये कदमों से कम्पनी के निर्देशक मण्डल को मासिक/ त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से अवगत नहीं किया जा रहा था जो सूचना प्रणाली प्रबंधन के प्रतिवेदनों को न्यूनतम महत्व दिए जाने को प्रतिबिम्बित करता है।

(प्रस्तर 4.2.21.1)

- कम्पनी का आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउण्टेंट की फर्मों को दिया गया था। तथापि यह पाया गया कि वाह्य एजेन्सी द्वारा किए गए आन्तरिक लेखापरीक्षा का स्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षा फर्म ने न तो प्रणाली की त्रुटियाँ प्रतिवेदित की और न ही महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को इंगित किया तथा अपने प्रतिवेदन को गणितीय लेखांकन की त्रुटियों तक ही सीमित रखा तथा व्यय के औचित्य के पक्ष की अनदेखी की।

(प्रस्तर 4.2.21.4)

- 31 मार्च 2012 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की बैठक कम से कम 10 बार की अपेक्षा सात बार ही आयोजित की गयी। आगे, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 292 ए (5) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षकों को भी सभी बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए था परन्तु किसी भी बैठक में इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.21.4)

संव्यवहार लेखापरीक्षा

- बैंक द्वारा सहमति पत्र का उल्लंघन करते हुए अवशेष राशि जमा करने/ अन्तरण में विलम्ब तथा कम्पनी (उ पाँ का लिमिटेड) की कर्मजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के फलस्वरूप ₹80.99 लाख के ब्याज की हानि हुई।

(प्रस्तर 4.3)

- कम्पनी (उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना तथा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) द्वारा आबंटन की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भूखण्ड का आबंटन निरस्त करने में असफलता के परिणामस्वरूप अन्य क्रेता को अक्टूबर 2009 में निर्धारित दर पर भूखण्ड आबंटित न होने के कारण कम्पनी को ₹ 3.14 करोड़ की फलित हानि हुई।

(प्रस्तर 4.4)

निष्पादन लेखापरीक्षा

4.2 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड

उत्तराखण्ड में विद्युत का पारेषण तथा ग्रिड संचालन का प्रबन्धन तथा नियन्त्रण पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा किया जाता है। यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अध्याधीन 27 मई 2004 को निगमित की गयी तथा 31 मार्च 2012 को कम्पनी के पास 2319.20 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) अतिरिक्त उच्च पारेषण लाइनें तथा 4990.50 मेगा वोल्ट एम्पेयर (मे वो ए) की स्थापित क्षमतावाले 35 उप-केन्द्र थे। वर्ष 2011-12 में कम्पनी का कारोबार ₹132.93 करोड़ था। 31 मार्च 2012 को कम्पनी में 867 कर्मचारी नियोजित थे।

मुख्य अंश

योजना और विकास: 2007-08 के आरम्भ में कम्पनी के पारेषण नेटवर्क में 4390.50 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 1894 सर्किट किमी अतिरिक्त उच्च तनाव पारेषण लाइनों सहित 30 अतिरिक्त उच्च तनाव उपकेन्द्र थे जो बढ़ाकर 4990.50 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 2319.20 सर्किट कि मी अतिरिक्त उच्च तनाव पारेषण लाइनों के साथ 35 अतिरिक्त उच्च तनाव उपकेन्द्र कर दिए गए।

(प्रस्तर 4.2.8.1)

परियोजना प्रबन्धन: उपकेन्द्रों के निर्माण में 15 से 17 माह का विलम्ब तथा लागत में ₹10.08 करोड़ की वृद्धि हुई थी। लाइनों के निर्माण में 8 से 40 माह की समयवृद्धि तथा लागत में ₹71.11 करोड़ की वृद्धि देखी गयी।

(प्रस्तर 4.2.9.1)

चालू परियोजना की पूर्णता में विलम्ब: श्रीनगर-सतपुली लाइन (51.70 सर्किट कि मी) तथा श्रीनगर-II-सतपुली लाइन (64 सर्किट कि मी) के निर्माण में क्रमशः 391.30 प्रतिशत तथा 123.64 प्रतिशत व्यय करने के बाद भी इन्हें पूर्ण करने की निर्धारित तिथि से 6 वर्ष तथा 7 वर्ष का विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 4.2.9.2)

पारेषण प्रणाली का निष्पादन: वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान में विद्यमान पारेषण क्षमता 30 प्रतिशत निरर्थक को छोड़कर 1489.59 मे वो ए से 1774.77 मे वो ए तक अधिक आगणित की गयी। कुछ निश्चित स्थानों पर अधिक भार तथा उच्च विद्युत प्रवाह (वोल्टेज) का होना पारेषण के नेटवर्क के सृजन में अवैज्ञानिक योजना को प्रतिबिम्बित करता है।

(प्रस्तर 4.2.10)

ग्रिड प्रबन्धन: कम्पनी ने ग्रिड अनुशासन का नौ अवसरों पर उल्लंघन किया (अप्रैल 2010) जिसके फलस्वरूप कम्पनी को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के वी नि आ) को नौ लाख रुपये का दण्ड देना पड़ा।

(प्रस्तर 4.2.14.4)

आपदा प्रबन्धन: आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा प्रतिवर्ष एक कृत्रिम अभ्यास किया जाना चाहिए था तथापि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी द्वारा किसी भी उपकेन्द्र में कोई कृत्रिम अभ्यास नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.15.1)

वित्तीय प्रबन्धन: कम्पनी की हानि में 85.19 प्रतिशत की पर्याप्त कमी आयी, यह हानि 2007-08 में ₹ 13.98 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 2.07 करोड़ हो गई। आगे, कम्पनी का ऋण-अंशदान (इक्विटी) अनुपात 2007-08 से 2011-12 के दौरान 6.02:1 से घटकर 3.12:1 हो गया। ऋण-अंशदान अनुपात में कमी का मुख्य कारण 2009-10 और बाद में सरकारी ऋण का अंशदान में परिवर्तन है।

(प्रस्तर 4.2.17.1)

प्रणाली उपलब्धता: वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कम्पनी की प्रणाली उपलब्धता क्रमशः 99.24, 99.14 तथा 99.50 प्रतिशत रही। इस उत्कृष्ट निष्पादन के लिए ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने कम्पनी को प्रणाली उपलब्धता के लिए स्वर्ण शील्ड से पुरस्कृत किया (मार्च 2012)।

(प्रस्तर 4.2.19)

सामग्री प्रबन्धन: यद्यपि वर्ष 2007-08 में कम्पनी का अन्तिम अवशेष भण्डार 22 माह के उपभोग के लिए था जो 2011-12 में बढ़कर 29 माह तक के उपभोग के लिए हो गया फिर भी न तो भण्डार का न्यूनतम/अधिकतम स्तर निर्धारित किया और न ही मूल्य आधारित (ए बी सी स्तर) विश्लेषण किया अथवा सामग्री की आवश्यकता को पुनः क्रमित करने का स्तर निर्धारित किया।

(प्रस्तर 4.2.20.2)

शीर्ष प्रबन्धन द्वारा अनुश्रवण तथा नियन्त्रण: उपखण्डों तथा लाईनों के वार्षिक निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वर्षवार संचयी निष्पादन अभिलेख न तो संधारित और न ही समेकित किये जा रहे थे। पारेषण प्रणाली की लाइनों तथा उपकेन्द्रों के निष्पादन में सुधार के लिए उठाये गये कदमों से कम्पनी के निर्देशक मण्डल को मासिक/ त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप से अवगत नहीं किया जा रहा था जो सूचना प्रणाली प्रबन्धन के प्रतिवेदनों को न्यूनतम महत्व दिए जाने को प्रतिबिम्बित करता है।

(प्रस्तर 4.2.21.1)

आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा: कम्पनी का आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य चार्टर्ड एकाउण्टेंट की फर्मों को दिया गया था। तथापि यह पाया गया कि बाह्य एजेन्सी द्वारा किए गए आन्तरिक लेखापरीक्षण का स्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि आन्तरिक लेखापरीक्षक फर्म ने न तो प्रणाली की त्रुटियाँ प्रतिवेदित की और न ही महत्वपूर्ण अभियुक्तियों को इंगित किया तथा अपने प्रतिवेदन को गणितीय लेखांकन की त्रुटियों तक ही सीमित रखा तथा व्यय के औचित्य पक्ष की अनदेखी की।

(प्रस्तर 4.2.21.4)

लेखापरीक्षा समिति: 31 मार्च 2012 को समाप्त पाँच वर्ष की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की बैठक कम से कम 10 बार की बजाए केवल सात बार ही आयोजित की गयी। आगे, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 292 ए (5) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षकों को भी सभी बैठकों में उपस्थित रहना चाहिए था परन्तु किसी भी बैठक में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

(प्रस्तर 4.2.21.4)

4.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने 2012 तक सभी के लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति तैयार की जिसमें कहा गया कि देश के लिए सुदृढ़ और समन्वित विद्युत प्रणाली विकसित करने के लिए पारेषण प्रणाली में कुशल और समन्वित कार्यवाही के अतिरिक्त पर्याप्त और यथासमय निवेश आवश्यक है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय/ राज्य पारेषण उपयोगिताओं के साथ समन्वय से राष्ट्रीय तथा राज्य ग्रिड विकसित करने को भी मान्यता दी गई है। उत्तराखण्ड में विद्युत पारेषण तथा ग्रिड प्रचालन का प्रबन्धन तथा नियंत्रण, पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा किया जाता है, जो दक्ष, पर्याप्त तथा सम्यकरूप से समन्वित ग्रिड प्रबन्धन तथा ऊर्जा का पारेषण प्रदान करने के लिए अधिदेशाधीन है। कम्पनी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन से विघटन के बाद कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन कम्पनी का निगमन 27 मई 2004 को हुआ तथा वह उत्तराखण्ड सरकार के ऊर्जा विभाग को प्रतिवेदन करती है।

कम्पनी का प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्यीय निदेशक मण्डल में निहित है। कम्पनी का दैनिक कार्य निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), निदेशक (मानव संसाधन) तथा कम्पनी सचिव की सहायता से प्रबन्ध निदेशक जो कम्पनी के मुख्य कार्यकारी हैं, द्वारा संचालित किया जाता है। वर्ष 2007-08 के दौरान कम्पनी ने ऊर्जा की 7300.37 मिलियन इकाई प्रेषित की जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 12069.84 मिलियन इकाई हो गयी, इस प्रकार 2007-12 के दौरान औसत वृद्धि 65.33 प्रतिशत दर्ज की गयी। 31 मार्च 2012 को, कम्पनी के पास 2319.20 सकिट किलोमीटर (सी के एम) तथा 35 उपकेन्द्रों के साथ 4990.50 मेगा वोल्ट एमपीयर (मे वो ए) की स्थापित क्षमता वाला पारेषण का नेटवर्क था जो 400 किलो वोल्ट (के वी), 220 के वी तथा 132 के वी पर 39345.10¹⁰ मिलियन इकाई (एम यू) वार्षिक पारेषण में समर्थ था।

2007-08 में कम्पनी का कारोबार ₹ 78.02 करोड़ था जो 2011-12 में बढ़कर ₹ 132.93 करोड़ हो गया तथा 2007-08 और 2011-12 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.21 तथा 0.22 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2012 को कम्पनी में 867 कर्मचारी नियोजित थे।

यह कम्पनी की प्रथम निष्पादन लेखापरीक्षा है अतः इससे पूर्व कम्पनी की गतिविधियों पर कोई भी निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं की गयी थी।

¹⁰ 4990.50 × 0.90 पी एफ × 24 × 365/1000=39345×10 एम यू।

4.2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा कार्यविधि

मई 2012 से अक्टूबर 2012 के दौरान सम्पन्न की गयी निष्पादन लेखापरीक्षा में कम्पनी के अन्तिम पाँच वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक का निष्पादन आच्छादित है। लेखापरीक्षण में मुख्यालय के विभिन्न शाखाओं, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, दो अंचलों- प्रत्येक मुख्य अभियन्ता के अधीन, अधिशासी अभियन्ताओं के अधीन 22 खण्डों में से 6 खण्डों की विभिन्न शाखाओं के अभिलेख की संवीक्षा समाहित थी। खण्ड कार्यालय पूँजीगत/राजस्व प्रकृति के कार्यों के सम्पादन के साथ लेखांकन इकाई का भी कार्य करते हैं। 22 खण्डों में से 6 खण्ड सिम्पल रेण्डम सैंम्पलिंग विद्आउट रिप्लेसमेण्ट विधि द्वारा चयनित किए गए।

निष्पादन लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि में कम्पनी ने पाँच उपकेन्द्र (क्षमता: 600 मे वो ए) तथा 10 पारेषण लाइनों/ 11 वेज (लम्बाई 425.20 सर्किट कि मी) का निर्माण किया। इसमें से तीन उपकेन्द्रों (क्षमता: 320 मे वो ए) तथा पाँच पारेषण लाइनों (लम्बाई 213.53 स कि मी) के निर्माण सम्बन्धी अभिलेख का परीक्षण किया गया।

लेखापरीक्षा मानदण्डों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई गई कार्य विधि में प्रवेश गोष्ठी के दौरान शीर्ष प्रबन्धन को लेखापरीक्षा के उद्देश्य स्पष्ट करना, प्रधान कार्यालय तथा चयनित इकाईयों में अभिलेख की संवीक्षा लेखापरीक्षित कार्मिकों के साथ विचार विनिमय, लेखापरीक्षा मानदण्डों के सन्दर्भ में आँकड़ों का विश्लेषण, प्रश्न पूछना, प्रस्थान गोष्ठी के दौरान शीर्ष प्रबन्धन के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा करना तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप प्रबन्धन/ सरकार को उनकी टिप्पणी के लिए निर्गत करना, सम्मिलित था।

4.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य आकलन करना था कि क्या:

- परिप्रेक्ष्य योजना राष्ट्रीय विद्युत नीति/ योजना तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ) के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गयी तथा योजना की असफलता के प्रभाव का आकलन, यदि कोई हो;
- पारेषण प्रणाली का संचालन तथा अनुरक्षण मितव्ययिता, दक्षतापूर्ण तथा प्रभावी ढंग से सम्पन्न किया गया;
- पारेषण प्रणाली मितव्ययिता, दक्षतापूर्वक तथा प्रभावी ढंग से विकसित की गयी तथा समर्पित की गयी;
- अपरिहार्य व्यवधान के सापेक्ष संचालन की सुरक्षा के लिए आपदा प्रबन्धन प्रणाली स्थापित की गयी थी;
- समय पर बिल देने तथा संग्रहण पर जोर देते हुए प्रभावी तथा दक्ष वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली तथा यथा-समय टैरिफ संशोधन के लिए सकल राजस्व आवश्यकता प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था थी;
- सामग्री अभिप्राप्ति तथा सामग्री नियन्त्रण तन्त्र सक्षम तथा प्रभावशाली था;
- राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप दक्ष तथा प्रभावी ऊर्जा संरक्षण के उपाय किए गए तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना; तथा

- वर्तमान/चालू परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए, चिन्हित त्रुटियों के निराकरण के लिए सुधारात्मक उपाय करने, लेखापरीक्षा/आन्तरिक लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों का तत्काल तथा पर्याप्त रूप से उत्तर देने के लिए अनुश्रवण प्रणाली है।

4.2.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन के लिए लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से ग्रहण किए गए:-

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना तथा राष्ट्रीय टैरिफ के प्रावधान;
- कम्पनी की परिपेक्ष्य योजना तथा परियोजना के प्रतिवेदन;
- मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारित, साम्यता तथा नैतिकता के सिद्धान्तों के सन्दर्भ में संविदा प्रदान करने की मानक प्रक्रिया;
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) का टैरिफ निर्धारण किये जाने के लिए प्रस्तुत वार्षिक राजस्व की आवश्यकता (ए आर आर), परिपत्र, नियमावलियाँ तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली के प्रतिवेदन;
- पारेषण योजना मानदण्डों की नियमावली (एम टी पी सी);
- तकनीकी इन्टरफ़ेस संहिता (सी टी आई)/ ग्रिड संहिता, योजना, संचालन, संयोजन संहिता युक्त;
- उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी)/ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) द्वारा निर्गत मानक/ दिशानिर्देश;
- ऊर्जा मन्त्रालय (एम ओ पी) द्वारा गठित समिति की पारेषण की सर्वोत्तम पद्धति की अनुशंसा प्रतिवेदन;
- पारेषण परियोजना के कार्यान्वयन में जटिल तत्वों का विश्लेषण करने के लिए ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रतिवेदन; तथा
- आँचलिक ऊर्जा समिति (आर पी सी)/ आँचलिक भार प्रेषण केन्द्र (आर एल डी सी) के प्रतिवेदन।

4.2.5 लेखापरीक्षा पद्धति

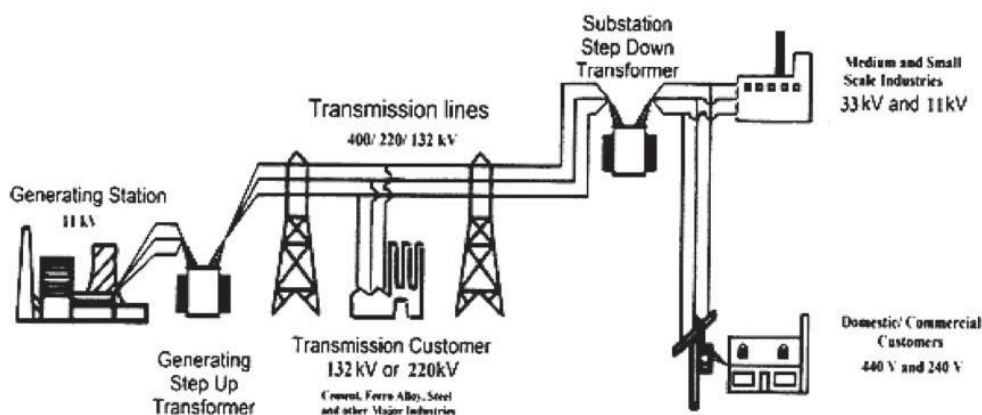
लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पद्धति का अनुसरण किया:

- कम्पनी की कार्यसूची टिप्पणी तथा कार्यवृत्त, वार्षिक प्रतिवेदन लेखाओं तथा आँचलिक ऊर्जा लेखाओं (आर ई ए) की समीक्षा;
- ऋण फाइलों, भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों की संवीक्षा;
- वार्षिक बजट के आँकड़ों तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित पूर्णता प्रतिवेदन का विश्लेषण;
- उ वि नि आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्धारित टैरिफ;
- परियोजना के निष्पादन, अधिप्राप्ति, धन की प्राप्ति तथा व्यय सम्बन्धी अभिलेख की संवीक्षा;
- प्रविष्टि एवं प्रस्थान गोष्ठी के दौरान प्रबंधन के साथ चर्चा; तथा
- निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप प्रबन्धन/शासन को उनकी टिप्पणी के लिए निर्गत करना।

4.2.6 पारेषण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

विद्युत पारेषण, ऊर्जा का उच्च वोल्टेज; सामान्यतया 132 किलोवोल्ट तथा अधिक पर लम्बी दूरी तक अन्तरण के रूप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा संयन्त्रों में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा, पारेषण में हानि कम करने तथा ग्रिड में दक्षता बढ़ाने के लिए पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज में परिवर्तित की जाती है। उपकेन्द्रों में उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली में वोल्टेज को एक स्तर तक दूसरे स्तर में बढ़ाने/ घटाने; प्रणाली में अथवा प्रणाली के बाहर की विद्युत प्रणालियों तथा स्विचिंग उपकरणों के संयोजन के लिए प्रयुक्त होनेवाली सुविधायें हैं। उत्पादन केन्द्रों में वोल्टेज बढ़ानेवाले पारेषण उपकेन्द्र लम्बी दूरी तक पारेषण के लिए वोल्टेज बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रान्सफार्मरों का प्रयोग करते हैं।

विद्युत ऊर्जा का भण्डारण नहीं किया जा सकता, अतः उत्पादन का आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए, प्रत्येक पारेषण प्रणाली की माँग के सभिकर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए नियन्त्रण की परिष्कृत प्रणाली जिसे ग्रिड प्रबंधन कहते हैं, की आवश्यकता होती है। पारेषण प्रक्रिया की सचित्र प्रस्तुति नीचे दी गयी है:



4.2.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मानदण्ड तथा पद्धति कम्पनी के प्रबन्धन को 25 मई 2012 को आयोजित प्रवेश गोष्ठी में स्पष्ट कर दिए गए थे। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष कम्पनी तथा राज्य सरकार को 31 अक्टूबर 2012 को सन्दर्भित किए गए थे तथा 20 दिसम्बर 2012 को आयोजित प्रस्थान गोष्ठी में भी उन पर चर्चा की गयी। प्रस्थान गोष्ठी में प्रबन्ध निदेशक, निदेशक (परियोजना), निदेशक (वित्त), निदेशक (मानव संसाधन) तथा विभिन्न शाखाओं के मुख्य अभियन्ता उपस्थित थे। कम्पनी ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर दिसम्बर 2012 में दिया। राज्य सरकार ने अलग से उत्तर नहीं दिया। तथापि निष्पादन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय उनके द्वारा दिए गए उत्तरों तथा प्रस्थान गोष्ठी में अभिव्यक्त विचारों को ध्यान में रखा गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गयी है:

4.2.8 योजना तथा विकास

4.2.8.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना

केन्द्रीय पारेषण सुविधा (सी टी यू) तथा राज्य पारेषण सुविधाओं (एस टी यूज) का मुख्य उत्तरदायित्व सभी सम्बन्धित एजेन्सी यथा पारेषण सुविधा, राज्य नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) से समन्वय स्थापित करते हुए राष्ट्रीय विद्युत योजना (एन ई पी) पर आधारित नेटवर्क योजना तथा विकास करना है। दसवीं योजना की समाप्ति पर (मार्च 2007) देश की पारेषण प्रणाली में 765/एच वी डी सी/400/230/220 के वी की 1.98 लाख (सर्किट किलोमीटर) की पारेषण लाइनें थीं जिन्हें 11वीं योजना की समाप्ति (मार्च 2012) तक बढ़ाकर 2.93 लाख सर्किट कि मी करने की योजना थी। राष्ट्रीय विद्युत योजना ने 2006-07 की समाप्ति पर अन्तर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का आकलन 14,100 मेगावाट (एम डब्ल्यू) किया तथा 11वीं योजना में 23,600 मेगावाट जोड़ने की योजना थी जिससे अन्तर क्षेत्रीय क्षमता बढ़कर 37,700 मेगावाट हो जाए।

2007-08 के आरम्भ में कम्पनी के नेटवर्क में 4390.50 मेगावोल्ट एम्पेयर (एम वी ए) तथा 1894 सर्किट कि मी अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) पारेषण लाइनों के 30 अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) वाले उपकेन्द्र थे। यह पारेषण नेटवर्क 31 मार्च 2012 तक बढ़कर 4990.50 मे वी ए तथा 2319.20 सर्किट कि मी अतिरिक्त उच्च तनाव पारेषण लाइनों के 35 अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) वाले उपकेन्द्र हो गये।

कम्पनी राज्याभ्यान्तर पारेषण प्रणाली की योजना तथा विकास के लिए उत्तरदायी है। क्षमता में वृद्धि के लिए माँग का आकलन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यद्यपि उ वि नि आयोग द्वारा 9 अप्रैल 2007 को निर्गत ग्रिड संहिता के अनुसार कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) के लिए राज्य विद्युत योजना तैयार करनी अपेक्षित थी परन्तु कम्पनी ने ऐसा नहीं किया। तथापि कम्पनी ने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं पर आधारित तथा भार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पारेषण कार्यों के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्यों का विवरण समाविष्ट करते हुए प्रतिवर्ष निवेश योजना उ वि नि आ को प्रस्तुत की। तथापि इसे भार के पूर्वानुमान से सन्दर्भित नहीं किया गया क्योंकि कम्पनी के पास वर्तमान भार की स्थिति सम्बन्धी आँकड़े थे परन्तु आकल्पित भार वृद्धि की गणना के लिए प्रचलित-विश्लेषण नहीं किया गया।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी ने पूर्ण पारेषण तंत्र, वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) की माँग तथा ऊर्जा निष्क्रमण अनुयोजना के साथ योजना व विकास योजना को अगस्त 2012 में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) के समक्ष प्रस्तुत किया। तथापि, तथ्य यह है कि कम्पनी ने राज्य विद्युत योजना को प्रस्तुत करने में पाँच वर्षों (31 मार्च 2012 तक) का विलम्ब किया।

4.2.8.2 पारेषण नेटवर्क तथा उसकी वृद्धि

कम्पनी ने 580 मे वी ए पारेषण क्षमता तथा 558.51 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) पारेषण लाइनें स्थापित करने के लक्ष्य के साथ से पंचवर्षीय योजना (2007-12) बनायी। इसके सापेक्ष कम्पनी ने 2007-08 से

2011-12 की अवधि में पाँच उपकेन्द्रों के साथ 600 मे वो ए पारेषण क्षमता तथा 425.20 स कि मी (76.13 प्रतिशत) पारेषण लाइनों का लक्ष्य प्राप्त किया तथा 133.31 सी के एम¹¹ की कमी रह गयी। वन विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में तथा रास्ते के लिए स्पष्ट अधिकार प्राप्त करने में विलम्ब कमी के मुख्य कारण थे। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनी की अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) स्तर पारेषण क्षमता **परिशिष्ट 4.5** में दी गयी है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, कम्पनी कोई भी पारेषण लाइन के निर्माण अथवा पारेषण क्षमता में वृद्धि में असफल रही। कम्पनी की पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय विद्युत योजना के दिशा-निर्देशों तथा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा अप्रैल 2007 में निर्गत ग्रिड कोड के अनुरूप नहीं थी क्योंकि इसमें अन्तर्राज्यीय तथा राज्याभ्यान्तर पारेषण प्रणाली के सम्बन्ध में पर्याप्त विवरण समाविष्ट नहीं किए गए थे। इसमें ट्रान्सफार्मर्स, केपेसिटर्स, रिएक्टर्स आदि जैसे अतिरिक्त उपकरण जिनकी कम्पनी को निकट भविष्य में आवश्यकता हो, अलग नहीं किए गए।

वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान, वोल्टेज के अनुसार क्षमता वृद्धि-योजना, वास्तविक वृद्धि, क्षमता में कमी आदि **परिशिष्ट 4.6** में दी गयी हैं। कम्पनी ने वन विभाग से अनुमति तथा रास्ते का स्पष्ट अधिकार अग्रिम में नहीं प्राप्त किया। अतः 558.51 सर्किट कि मी के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

4.2.9 पारेषण प्रणाली का परियोजना प्रबन्धन

पारेषण परियोजना में अवधारणा से प्रारम्भ करने तक अनेक गतिविधियाँ समाहित होती हैं। पारेषण परियोजना में प्रमुख गतिविधियाँ (i) परियोजना का व्यवस्थापन, मूल्यांकन तथा अनुमोदन का चरण, (ii) परियोजना का कार्यान्वयन चरण हैं। परियोजना कार्यान्वयन की अवधि घटाने के लिए, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पारेषण परियोजनाओं पर एक टास्क फोर्स का गठन किया (फरवरी 2005):

- पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जटिल तत्वों का विश्लेषण करना;
- केन्द्रीय पारेषण सुविधाओं तथा राज्य पारेषण सुविधाओं की उत्तम प्रथाओं का कार्यान्वयन; तथा
- आदर्श पारेषण परियोजना हेतु 24 मास की अवधि के निर्धारण का सुझाव।

टास्क फोर्स ने पारेषण प्रणालियों की पूर्णता के लिए गति बढ़ाने के लिए निम्न उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव दिया तथा अनुशंसा की (जुलाई 2005)।

- तैयारी की विभिन्न गतिविधियाँ यथा सर्वेक्षण अभिकल्प तथा परीक्षण, वन तथा अन्य साविधिक अनुमति के लिए प्रसंस्करण, निविदा गतिविधियाँ आदि परियोजना मूल्यांकन तथा अनुमोदन चरण से पहले/ समानान्तर करना तथा पारेषण लाइन परियोजना की संस्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त हो जाए तो निर्माण गतिविधि तुरन्त आरम्भ करना।

¹¹ नई 132 के वी लाइन का लक्ष्य था-273.90 सी के एम - उपलब्धि 173.20 सी के एम = कमी 100.70 सी के एम तथा नई 220 के वी लाइन का लक्ष्य था 284.61 सी के एम- उपलब्धि 252 सी के एम = कमी 32.61 सी के एम ।

- टावर रचना की रूपरेखा का मानक सुनिश्चित करना जिससे परियोजना के कार्यान्वयन में 6 से 12 महीने की बचत की जा सके।

4.2.9.1 कम्पनी ने परियोजना के समय पर पूर्ण होने के लिए टास्क फोर्स समिति द्वारा दिए गए विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। फलस्वरूप, 2007-12 के दौरान कुछ उपकेन्द्रों के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ जैसा नीचे तालिका 4.2.1 में दिया गया है:

तालिका 4.2.1
उपकेन्द्रों का कार्यान्वयन (₹ करोड़ में)

क्षमता के वी में	उप केन्द्रों का नाम	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण करने की वास्तविक तिथि (समय वृद्धि)	प्रदत्त लागत	वास्तविक लागत (लागत वृद्धि)	समय वृद्धि तथा लागत वृद्धि के कारण
220	महुआखड़ा गंज-काशीपुर	जून 2010 सितम्बर 2011 तक विस्तृत	नवम्बर 2011 (17 महीने)	74.99	74.99	कम्पनी द्वारा कंट्रोल तथा रिले पैनल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय लिया गया
132	सतपुली	अगस्त 2009	जनवरी 2011 (15 महीने)	4.43	9.58 (5.15)	कम्पनी द्वारा ठेकेदार को भूमि देने में विलम्ब
132	सिमली	जनवरी 2008	जुलाई 2009 (17 महीने)	6.40	11.33 (4.93)	कम्पनी द्वारा ठेकेदार को भूमि देने में विलम्ब

कम्पनी प्रबन्धन ने उपरोक्त प्रकरणों में उत्तर नहीं दिया।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में यह भी आया कि कम्पनी मार्ग का अधिकार, वन की अनुमति आदि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण पारेषण लाइनों का कार्य यथा मनेरी-भाली-II- ऋषिकेश, डी सी घुत्तू-घनशाली, घनशाली-चम्बा तथा सतपुली-कोटद्वार पूर्ण नहीं कर सकी फलतः आठ महीने से चालीस महीने की समय वृद्धि हुई तथा लागत में ₹ 71.11 करोड़ की वृद्धि हुई जैसा **परिशिष्ट 4.7** में दिया गया है।

प्रबंधन का उत्तर नियमानुसार था।

- **220 के वी मनेरी भाली-द्वितीय ऋषिकेश लाइन:** प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि यह वन विभाग की अनुमति में विलम्ब के कारण हुआ (मई 2008)। प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि कम्पनी ने वन विभाग से अनुमति का प्रकरण ठेकेदार को संविदा प्रदान करने के बाद तैयार करना आरम्भ किया तथा मूल प्रकरण जो अगस्त 2005 में प्रस्तुत किया था। वन विभाग द्वारा अपने प्रश्नों के साथ सितम्बर 2005 में वापस कर दिया गया था। वन विभाग को प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद सैद्धान्तिक अनुमोदन दिसम्बर 2007 में तथा अन्तिम अनुमोदन मई 2008 में प्राप्त हुआ। कम्पनी को भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय की टास्क फोर्स की पारेषण परियोजनाओं पर उपरोक्त अनुशंसाओं के उल्लंघन के कारण लागत वृद्धि सहन करनी पड़ी।
- **220 के वी डी सी घुत्तू-घनशाली:** प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि समयवृद्धि वन के गलियारे की अनुमति में विलम्ब के कारण हुई। पेड़ों का कटान अक्टूबर 2011 में पूर्ण हुआ। प्रबन्धन का उत्तर

युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि परियोजना का वन विभाग से अनुमोदन अप्रैल 2009 में प्राप्त हो गया था तथा कम्पनी द्वारा इस लाइन के लिए अभिकल्पित टावर; पहले परीक्षण के दौरान असफल हो गया, उसके अभिकल्प में संशोधन किया गया तथा पुनः परीक्षण किया गया, जिसके कारण कार्य में विलम्ब हुआ।

- **132 के वी सतपुली-कोटद्वार लाइन:** प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि विलम्ब तथा लागत वृद्धि का मुख्य कारण कम्पनी द्वारा पर्वतीय भूभाग के अनुकूल कार्य की मात्रा में परिवर्तन था। लाइन की वनानुमति अप्रैल 2008 में प्राप्त की गयी थी तथा वन गलियारा जनवरी 2010 में साफ कर दिया गया था। कम्पनी का उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि वन विभाग से सैद्धान्तिक अनुमोदन मार्च 2006 में मिल गया था। विलम्ब का मुख्य कारण कम्पनी द्वारा वन विभाग की प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में अतिरिक्त समय लेना था।

कम्पनी ने उक्त लाइनों पर ₹ 140.91 करोड़ व्यय किया जिसमें से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) ने मार्च 2012 तक केवल ₹ 54.03 करोड़ की अनुमति दी तथा कम्पनी को शेष राशि अपने संसाधनों से वहन करनी पड़ी।

4.2.9.2 चालू परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब

कम्पनी ने 132 के वी डी सी श्रीनगर-सतपुली पारेषण लाइन (51.70 स कि मी) तथा 132 के वी श्रीनगर II-सिमली पारेषण लाइन (64 स कि मी) के निर्माण के लिए एक निजी फर्म¹² के साथ अगस्त 2004 तथा अक्टूबर 2005 में क्रमशः ₹ 10.92 करोड़ तथा ₹ 38.96 करोड़ के दो अनुबन्ध किए। उक्त परियोजनाओं को पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि क्रमशः अगस्त 2006 तथा वनानुमति से छः महीने थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2012) कि श्रीनगर-सतपुली लाइन (51.70 स कि मी) का निर्माण अगस्त 2006 की निर्धारित तिथि से छः वर्ष के विलम्ब के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका क्योंकि कम्पनी ठेकेदार को जुलाई 2012 तक स्पष्ट मार्ग का अधिकार उपलब्ध करवाने में असफल रही जिसके कारण कम्पनी को जुलाई 2012 तक आनुषंगिक व्यय सहित ₹ 53.65 करोड़ (391.30 प्रतिशत अधिक) का निष्फल व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि परियोजना की लागत में वृद्धि टावर के डिजाइन में परिवर्तन तथा नगर पालिका पौड़ी की भूमि जहाँ एक टावर खड़ा करना था प्राप्त करने में विलम्ब के कारण हुई, तथा कार्य सितम्बर 2012 में पूर्ण किया गया। तथापि तथ्य है कि कम्पनी को विस्तृत सर्वेक्षण के समय स्पष्ट मार्ग का अधिकार चिह्नित कर लेना चाहिए था तथा विभिन्न प्राधिकारियों से सांविधिक अनुमति पूर्व में ही प्राप्त कर लेनी चाहिए थी।

श्रीनगर II -सिमली लाइन (64 स कि मी) के सम्बन्ध में ठेकेदार ने पारेषण लाइन के वन रहित क्षेत्र 22.38 स कि मी (34.97 प्रतिशत) पर निर्माण कार्य पूरा कर दिया। कम्पनी ने जुलाई 2012 तक पारेषण लाइन पर आनुषंगिक प्रभार सहित ₹ 48.17 करोड़ व्यय किए (23.64 प्रतिशत से ऊपर)। प्रदत्त लागत के 123.64

¹² मेसर्स रणजीत सिंह एण्ड कम्पनी।

प्रतिशत व्यय करने के बाद भी कम्पनी वनेत्तर भूमि में उक्त लाइन का केवल 34.97 प्रतिशत ही निर्माण कर सकी। संविदा अक्टूबर 2005 में प्रदान की गयी तथा अनुबन्ध के अनुसार पूर्णता की तिथि वनानुमति से छः महीने थी। परन्तु ठेका प्रदान करने के बाद सात वर्ष व्यतीत होने के बाद भी शेष क्षेत्र के लिए वनानुमति अभी भी प्राप्त की जानी थी।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि सैद्धान्तिक वनानुमति अप्रैल 2010 में प्राप्त कर ली थी तथा अन्तिम अनुमोदन भूमि के अन्तरण के बाद, जो प्रक्रिया में थी, प्रदान की जाएगी। कम्पनी का उत्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल वन अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अनुबन्ध किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में, अनुबन्ध अक्टूबर 2005 में सम्पादित किया गया तथा वनानुमति के लिए प्रकरण नोडल कार्यालय, देहरादून को विलम्ब से अप्रैल 2009 में प्रस्तुत किया गया जिसके बाद प्रकरण दिसम्बर 2012 तक शर्तें पूरी करने के लिए कम्पनी तथा नोडल अधिकारी के बीच घूमता रहा। शेष प्रमुख बाधा, कम्पनी तथा सरकार द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने में असमर्थता थी। यदि कम्पनी ने पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय के दिशानिर्देशों का पालन किया होता तो लागत तथा समयवृद्धि कम की जा सकती थी।

4.2.9.3 उत्पादन क्षमता तथा पारेषण सुविधाएँ

राष्ट्रीय विद्युत नीति (रा वि नी) में उत्पादन क्षमता तथा पारेषण सुविधाओं में अन्तर का परिहार करने के लिए नई उत्पादन क्षमताओं की योजना को ध्यान में रखते हुए पारेषण क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की गयी। कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली पारेषण सुविधाओं तथा उत्पादक कम्पनी की उत्पादन योजना में समानता होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने समीक्षा अवधि के दौरान पाया (जून 2012) कि केवल दो उत्पादन केन्द्र यथा-मनेरी भाली- II (304 मेगावाट) तथा भिलंगना (24 मे वा) चालू किए गए। प्रथम कार्य राज्य की उत्पादन सुविधा द्वारा फरवरी 2008 में तथा द्वितीय एक निजी उत्पादक¹³ द्वारा नवम्बर 2011 में पूर्ण किया गया। कम्पनी उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा पारेषण में सफल रही।

4.2.9.4 उत्तराखण्ड एकीकृत पारेषण परियोजना के क्रियान्वयन में शिथिलता

कम्पनी ने उत्तराखण्ड में व्यापक ऊर्जा निकासी प्रणाली तथा राज्य में गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एकीकृत नेटवर्क के विकास के लिए एकीकृत पारेषण प्रणाली आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) को प्रस्ताव किया (सितम्बर 2006)। प्रस्तावित परियोजना में वर्ष 2004 की चौथी तिमाही के कीमत पर आधारित ₹ 2446.74 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर यमुना, भागीरथी अलकनन्दा तथा शारदा घाटियों में प्रस्तावित 5406.50 मेगावाट (मे वा) ऊर्जा निकासी परिकल्पित थी।

योजना के वि प्रा द्वारा जनवरी 2007 में तथा ऊर्जा मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2007 में अनुमोदित की गयी। परियोजना का वित्त पोषण पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन (पी एफ सी) तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए डी बी) द्वारा भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से किया गया। प्रस्तावित परियोजनायें

¹³ मेसर्स भिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड।

मार्च 2012 तक पूर्ण की जानी निर्धारित थी। कम्पनी ने उत्तराखण्ड एकीकृत पारेषण परियोजना योजना के उ ए पा प यो के अधीन 2007-08 से 2011-12 तक 1887 स कि मी लाइनों तथा 2190 मेगा वोल्ट एम्पीयर (मे वो ए) के उपकेन्द्रों के निर्माण का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित उ ए पा प योजना की प्राक्कलिक लागत एवं पूर्णता की लक्षित तिथि का विवरण परिशिष्ट 4.8 में दिया गया है।

उ ए पा प के कार्यान्वयन में लेखापरीक्षा के संज्ञान में निम्न बातें आयी:

4.2.9.5 अनुबन्ध प्रदान करना

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2012) कि कम्पनी ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 2080.25 करोड़ की प्राक्कलित लागत सहित 20 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जिनके सापेक्ष ₹ 603.43 करोड़ के केवल 10 अनुबन्धों को अन्तिम रूप देकर प्रदान किया जा सका। इनमें से केवल तीन परियोजनाएँ¹⁴ पूर्ण की जा सकी तथा तीन में से यथा 400 के वी उप केन्द्र रुड़की से 220 के वी उप केन्द्र रुड़की 220 के वी डबल सर्किट लाइन समय पर पूरी की गयी (नवम्बर 2010) तथा शेष दो 17 से 22 महीने के विलम्ब से पूरी की गयी।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में यह भी आया कि कम्पनी ने परियोजनाएँ एक साथ आरम्भ करने की बजाए पृथक-पृथक आरम्भ किया। कम्पनी ने 400 किलो वोल्ट एम्पीयर (के वी ए) श्रीनगर उपकेन्द्र के निर्माण कार्य का ठेका दिया तथा उससे सम्बद्ध मुख्य श्रीनगर काशीपुर लाइन का कार्य आरम्भ करने के लिए पहल नहीं की। इसी प्रकार कम्पनी ने 400 के वी द्विपरिपथ (डबल सर्किट) विष्णुगाड-कुवारीपास लाइन के निर्माण कार्य का ठेका दिया परन्तु कुवारीपास से सम्बद्ध 400 के वी गैस इन्सुलेटेड उपकेन्द्र का निर्माण कार्य का ठेका अभी तक (दिसम्बर 2012) नहीं दिया गया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 2012) कि श्रीनगर विद्युत गृह का 400 के वी उपकेन्द्र का ठेका एक ठेकेदार¹⁵ को 06.05.2011 को दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 220 के वी बारम्बरी-श्रीनगर लाइन का ठेका अन्य ठेकेदार¹⁶ को 23.04.2011 को दिया गया है। श्रीनगर काशीपुर लाइन की आवश्यकता तब पड़ेगी जब अलकनन्दा घाटी का सम्पूर्ण उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। कुवारीपास उपकेन्द्र का ठेका उत्पादकों की आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। प्रबन्धन का उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि 400 के वी द्विपरिपथ (डी सी) श्रीनगर काशीपुर लाइन उपकेन्द्र का प्रकरण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) के लिए प्रस्तुत था तथा 400 के वी द्विपरिपथ (डी सी) श्रीनगर काशीपुर लाइन का अनुमोदन 400 के वी श्रीनगर उपकेन्द्र के अनुमोदन के साथ ही प्राप्त कर लेना चाहिए था क्योंकि यह उपकेन्द्र की मुख्य सम्बद्ध लाइन है। उपकेन्द्रों तथा उसकी सम्बद्ध लाइनों का काम एक साथ आरम्भ किया जाना चाहिए था जिससे

¹⁴ 220 के वी डी सी लाइन, 400 के वी एस एस रुड़की से 220 के वी एस एस रुड़की तक (निर्धारित समापन तिथि: 31.12.2010 तथा वास्तविक समापन तिथि: 24.11.2010), 220 के वी डी सी लाइन भिलंगना - III से घनसाली लाइन (निर्धारित समापन तिथि: 17.01.2010 तथा वास्तविक समापन तिथि: 04.11.2011) तथा 220 घनसाली- चम्बा लाइन (निर्धारित समापन तिथि: 25.04.2008 तथा वास्तविक समापन तिथि: 30.09.2009)।

¹⁵ मेसर्स टाटा परियोजना।

¹⁶ मेसर्स हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

काशीपुर उपकेन्द्र के भार वहन में सहभागिता तथा कुमाऊँ अंचल नेटवर्क के सुदृढीकरण का अभिप्रेत उद्देश्य पूरा होता, ऐसा न होने के कारण योजना के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

4.2.9.6 ब्याज की वसूली न किया जाना

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2012) कि कम्पनी ने ₹ 185.68 करोड़ में 400 कि वी द्विपरिपथ (डी सी) लोहारीनागपाल कोटेश्वर लाइन के निर्माण कार्य का ठेका एक निजी कम्पनी¹⁷ को दिया (फरवरी 2009)। अनुबंध की शर्तों के अनुसार कम्पनी ने ठेकेदार को 9.07 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज पर ₹ 18.57 करोड़ गतिशीलता अग्रिम दिया (मार्च 2009)।

उत्तराखण्ड सरकार के जल विद्युत परियोजनाओं को समाप्त करने सम्बन्धी निर्णय (जनवरी 2011) के फलस्वरूप कम्पनी ने अनुबंध निरस्त कर दिया क्योंकि लाइन के निर्माण की आवश्यकता नहीं थी तथा ठेकेदार से गतिशीलता अग्रिम ब्याज सहित वापस करने के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2011)। ठेकेदार ने कम्पनी के अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया। अतः कम्पनी ने ठेकेदार की ₹ 18.57 करोड़ की बैंक गारंटी का नकदीकरण कर दिया (दिसम्बर 2011)।

प्रबन्धन ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा निवेदन किया (दिसम्बर 2012) कि गतिशीलता अग्रिम पर ब्याज की राशि ठेकेदार के ₹ 44.04 करोड़ के बिलों अथवा ₹ 18.59 करोड़ की निष्पादन गारंटी, जो कम्पनी ने अपने पास रोक कर रखी है तथा मई 2013 तक वैध है, से वसूली कर ली जाएगी।

तथापि, तथ्य है कि अनुबंध निरस्त करने के 21 महीने बाद भी मोबलाइजेशन एडवान्स पर ₹ 4.49 करोड़¹⁸ ब्याज की वसूली बकाया थी (दिसम्बर 2012) जब कि वह अनुबंध की शर्तों के अनुसार वसूल की जानी चाहिए थी।

4.2.9.7 मोबलाइजेशन एडवान्स पर ब्याज प्रभारित न करना

कम्पनी ने 400 किलो वोल्ट (के वी) द्विपरिपथ तपोवन-पीपलकोटी श्रीनगर तथा पीपलकोटी में 400 के वी द्विपरिपथ विष्णुप्रयाग मुजफ्फर नगर पारेषण लाइन के 220 के वी द्विपरिपथ लता-तपोवन-जोशीमठ पारेषण लाइन तथा 220 के वी द्विपरिपथ जोशीमठ-पीपलकोटी पारेषण लाइन के कार्यान्वयन के लिए एक निजी कम्पनी¹⁹ से क्रमशः ₹ 64.38 करोड़, ₹ 24.63 करोड़ तथा ₹ 60.59 करोड़ के तीन अनुबंध किए (अप्रैल 2011)। अनुबंध के नियम तथा शर्तों के अनुसार कम्पनी ने ₹ 14.95 करोड़ (अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत) गतिशीलता अग्रिम के रूप में सितम्बर 2011 से नवम्बर 2011 के मध्य ठेकेदार को अवमुक्त किए। निविदा प्रलेख इस तथ्य पर कि क्या अग्रिम ब्याज सहित था अथवा ब्याज मुक्त था, अस्पष्ट था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2012) कि जैसा अपेक्षित था, ठेकेदार को ब्याज मुक्त गतिशीलता अग्रिम निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। यह भी संज्ञान में आया कि गतिशीलता अग्रिम सम्बन्धी अनुच्छेद में कम्पनी द्वारा संशोधन किया गया (सितम्बर 2011) तथा निश्चय किया गया कि

¹⁷ मेसर्स एल एण्ड टी लिमिटेड।

¹⁸ ₹ 18.57×32×9.07/12×100= ₹ 4.49 करोड़।

¹⁹ मेसर्स टाटा परियोजना लिमिटेड, सिकन्दराबाद।

मोबलाइजेशन एडवॉन्स पर 9.07 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाये। ठेकेदार ने मोबलाइजेशन एडवॉन्स पर ब्याज सम्बन्धी संशोधित उपबन्ध इस अभ्युक्ति के साथ अस्वीकार कर दिया कि निविदा दस्तावेज तथा हस्ताक्षरित अनुबंध में ब्याज का उल्लेख नहीं था। अन्ततः कम्पनी ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2011) कि ब्याज युक्त मोबलाइजेशन एडवॉन्स वाला उपबन्ध लागू नहीं होगा, यद्यपि कम्पनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा पावर फाइनेन्स कापोरेशन से लिए गए ऋण पर 11 प्रतिशत की दर से ब्याज दे रहा था।

इस प्रकार, निविदा दस्तावेज तथा अनुबंध में ब्याज का उपबन्ध समाहित न करने के कारण दिसम्बर 2012 तक मोबलाइजेशन एडवॉन्स पर ₹ 1.47 करोड़²⁰ का ब्याज नहीं लिया जा सका।

प्रबन्धन ने निवेदन किया (दिसम्बर 2012) कि परियोजना का वित्त पोषण पारेषण एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा किया जा रहा था तथा ए डी बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गतिशीलता अग्रिम पर ब्याज प्रभार का कोई प्रावधान नहीं है तथा प्रबन्धन सुनिश्चित करेगा कि ऐसे मामलों का भविष्य में ध्यान रखा जाये।

4.2.9.8 उत्तराखण्ड समेकित पारेषण परियोजना योजना (यू आई टी पी अनुयोजना) का अनसुलझा लागत प्रतिलब्धित तन्त्र

उत्तराखण्ड समेकित पारेषण परियोजना (यू आई टी पी) योजना के अधीन, एशियन डेवलपमेन्ट बैंक (ए डी बी) को 250 मिलियन अमेरिकन डालर तथा पावर फाइनेन्स कापोरेशन (पी एफ सी) को ₹ 800 करोड़ की निधि उपलब्ध करवानी पड़ी। निधि का 70 प्रतिशत एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के सम्बन्ध में दी जाने वाली भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से आना था, जिसमें से 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में होना था। शेष 30 प्रतिशत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में उपलब्ध करवाया जाना था। पावर फाइनेन्स कापोरेशन के सम्बन्ध में दी जाने वाली निधि का 70 प्रतिशत ब्याज की लागू दर पर ऋण के रूप में उपलब्ध करवाया जाना था तथा 30 प्रतिशत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इक्विटी के रूप में दिया जाना था।

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (अगस्त 2012) कि कम्पनी ने उपरोक्त योजना पर जून 2012 तक ₹ 41.97 करोड़ पहले ही व्यय कर लिए थे व मार्च 2012 तक ₹ 603.43 करोड़ के 10 अनुबंध किए थे। ₹ 1218.80 करोड़ की प्राक्कलित लागत वाले छः अनुबंध अन्तिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में थे। तथापि, उक्त निवेश की टैरिफ के माध्यम से वसूली की सम्भावना निम्न कारणों से कठिन प्रतीत होती है:

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) उक्त निवेश का टैरिफ के माध्यम से वसूली के लिए सहमत नहीं था (दिसम्बर 2011), क्योंकि नेटवर्क से निष्क्रमित 50 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा राष्ट्रीय ग्रिड के लिए उपयोग की जाएगी तथा निवेश अन्तर्राज्यीय पारेषण सुविधा जैसी मानी जाएगी। अतः अनुमति केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) से प्राप्त की जानी चाहिए। उ वि नि आयोग ने आगे कहा (दिसम्बर 2011) कि कम्पनी योजना की सम्पूर्ण वार्षिक लागत की वसूली के लिए उत्तरदायी होगी तथा इस उद्देश्य के लिए अनुज्ञापी (कम्पनी) उ स पा योजना के अधीन विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित उपकेन्द्रों/ लाइन की

²⁰ ₹ 14.95 करोड़ $\times 9.07 \times 13/12/100 = ₹ 1.47$ करोड़।

सम्पूर्ण क्षमता के अनुरूप लाभार्थियों के साथ पर्याप्त संख्या में पारेषण सेवा का अनुबंध करने का पूरा प्रयास करेगी।

तथापि, कम्पनी योजना में निवेश की लागत वसूली तन्त्र विकसित करने में अब तक (दिसम्बर 2012) असफल रही। परिणामस्वरूप, कम्पनी के लिए योजना के अधीन सृजित किए जाने वाले उपकेन्द्रों तथा लाइनों के अनुरक्षण के अतिरिक्त ऋण तथा ब्याज का प्रतिदान करना कठिन होगा।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि समेकित ऊर्जा पारेषण योजना किसी भी पारेषण युटिलिटी द्वारा देश में पहली बार प्रस्तावित की गयी है तथा कम्पनी ने विभिन्न घाटियों में सभी जल विद्युत उत्पादकों को नेटवर्क में संयोजन को ध्यान में रखते हुए यह योजना विकसित की है। उच्च वोल्टेज पर परिचालक समूह के साथ बहुपरिपथ टावर निर्माण से वनों की बचत तथा उत्तराखण्ड ग्रिड के सुदृढीकरण, राज्यान्तर्गत तथा अन्तर्राज्यीय ऊर्जा विनिमय तथा उत्तर भारत में ग्रिड संयोजन सुलभ होगा। कम्पनी ने अनसुलझा लागत वसूली तन्त्र का विषय के वि नि आ के समक्ष रखा है तथा कम्पनी के पास अब तक (दिसम्बर 2012) योजना में निवेश का वसूली तन्त्र नहीं था।

4.2.9.9 लाइन के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ₹ 6.29 करोड़ की अप्रतिलब्धि

लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (जून 2012) कि वर्तमान ऋषिकेश-धरासू तथा चम्बा-धरासू लाइनों के टिहरी बाँध जलाशय के डूब क्षेत्र में आने के कारण स्थानान्तरित की जानी आवश्यक थी। तथापि, लाइन का स्थानान्तरण कार्य दिसम्बर 2012 तक अपूर्ण था। कम्पनी ने उपर्युक्त सन्दर्भित लाइनों के 15 टावरों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टी एच डी सी) से ₹ 7.79 करोड़ का दावा किया (जनवरी 2010)। टी एच डी सी ने ₹ 1.50 करोड़ का भुगतान जुलाई 2010 में किया। कम्पनी द्वारा टी एच डी सी से ₹ 6.29 करोड़ की राशि वसूल नहीं की जा सकी।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा निवेदन किया (दिसम्बर 2012) कि राशि टी एच डी सी से वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.2.9.10 लाइन के निर्माण का लक्ष्य अप्राप्त रहना

उपकेन्द्रों के संयोजन के उद्देश्य से कम्पनी ने 132 किलो वोल्ट (के वी) द्विपरिपथ पारेषण लाइन 220 के वी उपकेन्द्र (पी जी सी आई एल) से 132 के वी उपकेन्द्र पिथौरागढ़ के निर्माण के लिए पूर्णता की निर्धारित तिथि (11.03.2011) सहित ₹ 5.46 करोड़ का एक अनुबंध (मार्च 2010) एक निजी फर्म²¹ के साथ किया। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया (जून 2012) कि कम्पनी ने ठेकेदार को जनवरी 2011 में मोबलाइजेशन एडवान्स के रूप में ₹ 0.54 करोड़ का भुगतान किया। उक्त लाइन के निर्माण का कार्य जून 2012 तक आरम्भ नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन ने निवेदन किया (जून 2012) कि मार्ग के सर्वेक्षण की अधिसूचना के बाद जनता द्वारा 07 अप्रैल 2010 के सर्वे के सन्दर्भ में आपत्तियाँ उठायी गईं। प्रस्तावित मार्ग में परिवर्तन तथा अनुनय के बाद जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा नए मार्ग के लिए 4.68 हे भूमि का प्रकरण फरवरी 2011 में वन विभाग

²¹ मेसर्स कश्मीरी लाल कन्सट्रक्शन्स।

को प्रस्तुत किया गया। वनभूमि के उपयोग के लिए पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय से इस शर्त पर सैद्धान्तिक अनुमोदन मिला (अप्रैल 2011) कि वन विभाग के पक्ष में दोगुनी प्रतिपूरक भूमि अन्तरित की जाए। भूमि स्थानान्तरण तथा पट्टे पर दिए जाने के मामले की प्रक्रिया चालू थी तथा उपरोक्त कारणों से कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका।

प्रबन्धन का उत्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि पारेषण लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ करने की पूर्व से ही वांछित मार्ग का अधिकार तथा वनानुमति थी। कम्पनी ने इन सांविधिक अनुमतियों की उपेक्षा की तथा अनुबंध कर दिया जिससे कार्यारम्भ में विलम्ब हुआ। आगे परियोजना में समय तथा लागत वृद्धि से इन्कार नहीं किया जा सकता।

4.2.9.11 स्थापित टावरों की गंभीर हालत

बिंदाल ऋषिकेश माजरा डबल सर्किट लाइन के 132 किलो वोल्ट (के वी) के 16 टावर देहरादून की बिंदाल नदी के तल पर स्थित हैं, जिसमें से 14 टावर गंभीर हालत में थे क्योंकि इनकी नींव एवं पुश्ते को हर बरसात के मौसम से नदी में बाढ़ की वजह से कटाव का खतरा था। जैसा कि निम्न तस्वीरों में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है:



बिंदाल नदी पर नींव के साथ टावर की फाड़ल फोटो



बिंदाल नदी पर क्षतिग्रस्त नींव के साथ टावर की फाड़ल फोटो

लेखापरीक्षा ने पाया (जुलाई 2012) कि हर बरसात के मौसम में नदी में पानी के बढ़े हुए प्रवाह के कारण कम्पनी को बिजली की आपूर्ति बनाए रखने में कठनाई का सामना करना पड़ा। वर्ष 2007-08 के दौरान अगस्त 2007 को 18-अ टावर भारी बाढ़ की वजह से ढह गया। फलस्वरूप 48 घंटे से अधिक समय तक क्षेत्र में पूर्ण अंधकार रहा तथा एक महीने से ज्यादा तक विद्युत आपूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रही।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान टावरों को नुकसान से बचाने के लिए कम्पनी ने इन टावरों की नींव के संरक्षण पर ₹ 1.10 करोड़ का व्यय किया। तथापि, संरक्षण कार्य अस्थायी प्रकृति का था तथा कम्पनी हर बरसात के मौसम में एक ही कार्य बार-बार करने के लिए मजबूर हुई।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई 2012) कि कम्पनी टावरों की नींव को मजबूत बनाने के लिए संभावित व्यवहार्य समाधान पर विचार कर रही थी। कम्पनी का उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि कम्पनी इन टावरों की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था को अपनाने में विफल रही।

इसी तरह, 66 के वी रूड़की-पथरी पारेषण लाइन के दो पोल गंभीर स्थिति में रूड़की की सोलानी नदी के तल पर स्थित थे। यह लाइन पथरी पावर हाउस से विद्युत की निकासी कर 132 के वी उपकेन्द्र रूड़की को प्रेषित करने की वजह से काफी महत्वपूर्ण थी।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अगस्त 2011 में भारी बाढ़ की वजह से 9 एवं 11 नामक दो पोल ढह गए तथा पथरी पावर हाउस में उत्पादित बिजली की निकासी नहीं की जा सकी। इस वजह से छः दिनों तक विद्युत निकास न होने से 20.40 मेगावॉट (एम डब्लू) प्रतिदिन की दर से विद्युत उत्पादन का नुकसान हुआ तथा इसे 22 अगस्त 2011 तक ही बहाल किया जा सका।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को माना (दिसम्बर 2012) और कहा कि पर्याप्त सावधानियाँ बरती जा रही थी तथा पारेषण लाइन की सुरक्षा के लिए ज्यादा दूरी वाले एक नए 132 के वी के टावर का निर्माण अब किया जा चुका था। प्रबंधन ने उत्पादन हानि को भी स्वीकार्य किया।

4.2.9.12 पारेषण लाइन के निर्माण पर ₹ 20.48 करोड़ की हानि।

220 किलो वोल्ट (के वी) डबल सर्किट सिंगल जेबरा घुत्तू-घनसाली पारेषण लाइन के निर्माण, परीक्षण, संचरण एवं आपूर्ति के लिए एक निजी फर्म²² से दो समझौते (मई 2009) क्रमशः ₹ 8.12 करोड़ तथा ₹ 10.65 करोड़ में किये गये।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2012) कि उक्त पारेषण लाइन के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य एक निजी जनरेटर (मै/एस बी एच पी एल) द्वारा उत्पादित विद्युत (24 मेगावाट) की निकासी थी। ₹ 20.48 करोड़ का व्यय उपरोक्त जनरेटर के डिपोजिट कार्य के रूप में लिया जाना चाहिए था, क्योंकि उपरोक्त लाइन का निर्माण एक निजी जनरेटर के डिपोजिट कार्य के रूप में उत्पादित विद्युत निकासी के लिए समर्पित था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। उपरोक्त लाइन पर किया गया व्यय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) ने भी अनुमन्य नहीं किया।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि यू ई आर सी ने अंतर राज्य ओपेन एक्सेस को वर्णित करने वाला विनियमन (2010) वर्ष 2010 में ही जारी किया था। कम्पनी द्वारा पारेषण शुल्क के निर्धारण के संबंध में एक याचिका दायर की गयी थी (जून 2012) जो कि यू ई आर सी के समक्ष विचारधीन थी। हालाँकि, यह तथ्य है कि कम्पनी द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) द्वारा जारी (दिसम्बर 2009) अंतर राज्य पारेषण सिस्टम (आई एस टी एस) में कनेक्टिविटी के लिए आवेदन के प्रसंस्करण की प्रक्रिया का उल्लंघन किया था, जिसके अनुसार 250 मेगावाट या उससे अधिक के हाइड्रो जनरेटर को अपने खर्च पर समर्पित पारेषण लाइन के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसका निर्माण पारेषण यूटिलिटी द्वारा किया जाएगा। इस मामले में, निजी जनरेटर केवल 24 मेगावाट विद्युत पैदा कर रहा था। अतः लाइन के निर्माण की लागत उसके द्वारा वहन की जानी चाहिए थी।

²² मेसर्स रणजीत सिंह।

इस प्रकार, आई एस टी एस पर सी ई आर सी के दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण कम्पनी को ₹ 20.48 करोड़ का नुकसान सहन करना पड़ा क्योंकि इस राशि को न तो यू ई आर सी ने अनुमन्य किया (दिसम्बर 2012) न ही इस सम्बन्ध में जनरेटर द्वारा कोई भुगतान किया गया।

4.2.9.13 उपकेन्द्रों की स्थापित क्षमता का कम उपयोग।

132 किलो वोल्ट (के वी) भूपतवाला, हरिद्वार उपकेन्द्र वर्ष 2004-05 में 80 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम वी ए) क्षमता के साथ शुरू किया गया। लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 2012) कि प्रारम्भ से इस उपकेन्द्रों की 80 एम वी ए की स्थापित क्षमता तथा 56 एम वी ए की क्षमता 30 प्रतिशत मार्जिन के बाद, के सापेक्ष केवल 22.14 एम वी ए से 32.40 एम वी ए की सीमा में ही पारेषण क्षमता का उपयोग किया गया। यह कम्पनी द्वारा लोड का गलत आंकलन दर्शाता है जिसके फलस्वरूप उपकेन्द्रों से पूर्ण वित्तीय लाभ नहीं पाया जा सका।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से 33 के वी रिंग सिस्टम द्वारा लोड को पुनर्वितरित करने के लिए अनुरोध किया गया था। हरिद्वार एक धार्मिक केन्द्र हैं तथा अस्थिर लोड की वजह से अतिरिक्त क्षमता महत्वपूर्ण है। हालाँकि यह तथ्य है कि कुभ मेले का आयोजन बारह वर्ष में एक बार तथा अर्द्धकुम्भ का छः वर्ष में एक बार होता है। इस प्रकार अतिरिक्त क्षमता का उपयोग निकट स्थित ज्वालापुर उपकेन्द्र का लोड साझा करने के लिए किया जा सकता था जो कि अतिभारित था। उपकेन्द्र का लोड पुनर्वितरण अभी तक क्रियान्वित नहीं था (दिसम्बर 2012)।

4.2.10 पारेषण प्रणाली का निष्पादन

उच्च गुणवत्ता तथा न्यूनतम अवरोध वाली विद्युत प्रवाह के लिए एकसूत्रा हाई टेंशन (ई एच टी) उपकेन्द्रों के उचित रखरखाव पर कम्पनी का निष्पादन निर्भर करता है। उपकेन्द्रों तथा लाइनों के क्रियान्वयन के दौरान लाइन हानि कम करने और बिजली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए घटक उपप्रणालियों के भीतर माँग आपूर्ति प्रोफाइल की पहचान की जाती है तथा प्रणाली सुधार योजनाओं द्वारा वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार किये जाते हैं। ये योजनाएँ मौजूदा ट्रांसफॉर्मर क्षमता की वृद्धि के अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर का स्थापना, अतिरिक्त लाइनें बिछाने के लिए तथा कैपिसिटर बैंक की स्थापना के लिए हैं। प्रणाली के संचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एम) के संबंध में कम्पनी के प्रदर्शन पर आगे के प्रस्तरों में चर्चा की गई है।

जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत निकासी के लिए तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहे लोड को संभालने के लिए कम्पनी ने पारेषण लाइनें तथा विभिन्न वोल्टेज स्तर के ई एच टी उपकेन्द्र का निर्माण किया। एक ट्रांसफॉर्मर उच्च दक्षता पर आल्टरनेटिंग करंट (ए सी) के वोल्टेज को अन्य वोल्टेज में बदल देता है। वोल्टेज के स्तर को, प्रक्रिया में कम से कम नुकसान के साथ ए सी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ऊर्जा की निकासी सामन्तया: 220 किलो वोल्ट (के वी) उपकेन्द्र पर की जाती है। मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए पिछले पाँच सालों में कम्पनी द्वारा निर्मित पारेषण क्षमता (220 के वी) के समानान्तर पारेषित क्षमता (सबसे अधिक माँग की पूर्ति) का विवरण तालिका 4.2.2 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2.2

पारेषण क्षमता (एम वी ए में)				
वर्ष	स्थापित क्षमता	30 फीसदी छोड़ने के बाद क्षमता	सबसे अधिक माँग गैर संपाती माँग के साथ	अतिरिक्त (3-4)
1	2	3	4	5
2007-08	4550.50	3185.35	1410.58	1774.77
2008-09	4550.50	3185.35	1471.76	1713.59
2009-10	4590.50	3213.35	1575.29	1638.06
2010-11	4630.50	3241.35	1751.76	1489.59
2011-12	4990.50	3493.35	1974.11	1519.24

(स्रोत: कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सकल पारेषण क्षमता प्रत्येक वर्ष आवश्यकता से अधिक थी। 30 प्रतिशत अतिरिक्त छोड़ कर भी मौजूदा पारेषण क्षमता, वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के मध्य 1489.59 एम वी ए से 1774.77 एम वी ए अधिक था। कुछ स्थानों²³ पर व्यापक अधिकार, उच्च वोल्टेज पारेषण नेटवर्क के निर्माण में अवैज्ञानिक योजना को दर्शाता है जैसा कि अनुच्छेद 4.2.9.13 व 4.2.11.2 में चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार्य किया और कहा (दिसम्बर 2012) कि वर्तमान में कम्पनी के पास अतिरिक्त पारेषण क्षमता है, किन्तु यह व्यापक योजना तथा भविष्य की लोड जरूरतों को ध्यान में रखकर है तथा इसका निकट भविष्य में ही उपयोग कर लिया जाएगा।

4.2.11 पारेषण उपकेन्द्रों का निष्पादन

4.2.11.1 उपकेन्द्रों की पर्याप्तता

पारेषण योजना मानदण्ड मैनुअल (एम टी पी सी) अलग-अलग उपकेन्द्रों के लिए अधिकतम अनुमानित क्षमता बताता है जैसा कि 320 मेगा वोल्ट एमपीयर (एम वी ए) 220 किलो वोल्ट (के वी) के लिए तथा 150 एम वी ए 132 के वी उपकेन्द्र के लिए। उपकेन्द्रों की अधिकतम अनुमानित क्षमता की जाँच में पता चला (अगस्त 2012) कि किसी भी 220 के वी व 132 के वी उपकेन्द्र ने अनुज्ञात स्तर का अतिक्रमण नहीं किया। यह भी पाया गया कि 132 के वी तथा ऊँची क्षमता वाले, प्रत्येक उपकेन्द्र पर न्यूनतम दो ट्रांसफॉर्मर होने चाहिए। इसके अलावा, पारेषण योजना और सुरक्षा मानक (टी जी एस एस) जो कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा जारी किया गया है के अनुसार उपकेन्द्र में ट्रांसफॉर्मर की संख्या की इस प्रकार योजना बनाई जानी चाहिए कि एक ट्रांसफॉर्मर के खराब होने की स्थिति में शेष ट्रांसफॉर्मर 80 प्रतिशत लोड आपूर्ति कर सकें।

लेखापरीक्षा ने काशीपुर, पंतनगर, रुड़की, हरिद्वार तथा देहरादून के विभिन्न क्षमता के अनुरक्षण एवं परिचालन (ओ एण्ड एम) खण्ड के 16 उपकेन्द्रों के नमूना जाँच में पाया गया (अगस्त 2012) कि किसी भी उपकेन्द्र के पास किसी भी क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर एन-1 आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए नहीं था। यद्यपि यह कम्पनी के एन-1 (प्रत्येक उपकेन्द्र पर आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए किसी भी क्षमता के अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता थी) आकस्मिक स्थिति के निर्देशों (जून 2011) के अनुसार

²³ काशीपुर, पन्तनगर, बाजपुर, कोटद्वार, ज्वालापुर, मंगलौर, भगवानपुर तथा रुड़की।

अनिवार्य था। यह भी देखा गया कि किसी ट्रांसफॉर्मर के खराब होने की स्थिति में स्थापित ट्रांसफॉर्मर 80 प्रतिशत भार वहन करने में सक्षम नहीं थे।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किया एवं कहा कि (दिसम्बर 2012) क्षमता में वृद्धि प्रस्तावित है तथा भार को प्रत्येक उपकेन्द्र पर स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के लिए नए उपकेन्द्र स्थापित किए जा रहे थे। हालाँकि, कम्पनी एन-1 आकस्मिक स्थिति पर फिर भी शांत रही।

4.2.11.2 उपकेन्द्र की स्थापित क्षमता के सापेक्ष अधिक लोड

लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 2012) कि वर्ष 2005-06 में सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करने के लिए 200 मेगावोल्ट एमपीयर का एक 220 किलो वोल्ट (के वी) का उपकेन्द्र सिडकुल हरिद्वार में चालू किया, जो कि 30 प्रतिशत सुरक्षा मार्जिन छोड़ने के बाद, वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक अपने पारेषण क्षमता से 140 एम वी ए के विरुद्ध 168 एम वी ए से 205 एम वी ए तक अधिक पर चल रहा था। तथापि कम्पनी ने स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की यह उपकेन्द्र के उपकरणों के भारी नुकसान का कारण बन सकता है।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाना विचाराधीन था।

इसी प्रकार, से 80 एम वी ए की स्थापित क्षमता वाले 132 के वी उपकेन्द्र, ज्वालापुर तथा कोटद्वार, 30 प्रतिशत की सुरक्षा मार्जिन छोड़ने के बाद वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान 56 एम वी ए के स्थान पर क्रमशः 73.67 एम वी ए से 81.53 एम वी ए तक तथा 65 एम वी ए से 70 एम वी ए तक उपयोग किए गए। जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया कि कम्पनी ने उपकरणों को नुकसान से बचाने के लिए न तो स्थापित क्षमता बढ़ाई नहीं अतिरिक्त भार अन्य उपकेन्द्र पर स्थानांतरित किये।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 30 प्रतिशत का मार्जिन छोड़ने के बाद देहरादून खण्ड के 132 के वी उपकेन्द्र बिंदाल एवं माजरा तथा रुड़की खण्ड के 132 के वी उपकेन्द्र रुड़की तथा भगवानपुर 2009-10 से 14 से 42 एम वी ए तक अतिभारित थे। इस प्रकार, कम्पनी दो अवसरों पर विफल रही, किसी ट्रांसफॉर्मर के खराब होने की स्थिति में एन-1 आकस्मिक आवश्यकता तथा उपरोक्त वर्णित उपकेन्द्र दो वर्षों से अधिक समय से अतिभारित चल रहे थे।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किये तथा कहा (दिसम्बर 2012) कि उपकेन्द्र केवल आकस्मिक हालात में ही अतिभारित चल रहे हैं तथा निवारक कार्यवाही भी की जा रही थी। हालाँकि यह तथ्य फिर भी बना रहा कि उपरोक्त उपकेन्द्र अभी तक अतिभारित चल रहे थे (दिसम्बर 2012)।

4.2.11.3 वोल्टेज प्रबंधन

अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के अनुज्ञापीयों को हर संभव प्रयास कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रिड का वोल्टेज हमेशा सीमा में रहे। भारतीय ग्रिड कोड के अनुसार, राज्य पारेषण उपयोगिता (एस टी यू) को 380-420 के वी, 198-245 के वी तथा 119 से 145 के वी वोल्टेज क्रमशः 400 के वी, 220 के वी तथा 132 के वी पर बनाए रखनी चाहिए। पाँच अनुरक्षण एवं परिचालन खण्ड (400 के वी तथा 132 के वी काशीपुर, तथा 220 के वी पंतनगर) कुमाऊँ क्षेत्र के तथा दो खण्ड (132 के वी देहरादून तथा 220 के वी रुड़की) गढ़वाल क्षेत्र

के वर्ष 2007-12 के जनवरी से मई माह के बस वोल्टेज के नमूना जाँच (अगस्त 2012) से पता चला कि 132 के वी के आठ²⁴ उपकेन्द्रों में वोल्टेज 100 के वी से 150 के वी की सीमा में दर्ज हुई थी जो कि निर्धारित अधिकतम 145 के वी तथा न्यूनतम 119 के वी वोल्टेज की सीमा में नहीं थे।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि इस मुद्दे को हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

4.2.12 लाइनों का प्रबंधन

4.2.12.1 अतिरिक्त उच्च तनाव वाली लाइनें (ई एच टी)

जैसा कि पारेषण योजना मानदण्ड मैनुअल (एम टी पी सी) में बताया गया है, अनुमन्य लाइन लोड आमतौर पर थर्मल लोड लिमिट (टी एल एल) से अधिक नहीं होनी चाहिए। टी एल एल ऊर्जाकृत कंडक्टर के तापमान को सीमित कर लाइनों की शिथिलता तथा तन्यता ताकत के ह्रास को रोकता है। टी एल एल लाइनों के अधिकतम विद्युत प्रवाह को सीमित करता है। एम टी पी सी के अनुसार 132 के वी लाइन के साथ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीडिफोर्स (एस सी एस आर) पैन्थर 210 वर्ग मि मी कंडक्टर का टी एल एल 366 एम्पीयर (एम पी) था।

कम्पनी के पास मार्च 2012 तक गढ़वाल तथा कुमाऊँ क्षेत्र में 132 के वी के कुल 58 फीडर थे। लाइन लोडिंग की लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2012) में पता चला कि काशीपुर, हरिद्वार, पंतनगर तथा रुड़की खण्ड के 26 फीडरों में से दस²⁵ की नमूना जाँच में पता चला कि ये 380 से 480 एम्पीयर पर भारित थे, जो कि 366 एम्पीयर के निर्धारित मानदण्ड से ऊपर थे। लाइनों का क्षमता से अधिक भारण करने से वोल्टेज में उतार चढ़ाव ऊँची पारेषण हानि तथा लगातार रूकावट/ ब्रेकडाऊन हुए।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किये एवं कहा (दिसम्बर 2012) कि निर्धारित सीमा से विचलन केवल आकस्मिक परिस्थितियों में होता है तथा मानदण्डों को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

4.2.12.2 बस बार संरक्षण पैनल

एक विद्युत उपकेन्द्र पर अंदर आने व बाहर जाने वाली पारेषण लाइन तथा ट्रांसफॉर्मर के अन्तर्जुड़ाव का प्रयोग करने के लिए बस बार का उपयोग किया जाता है। बस बार संरक्षण पैनल (बी बी पी पी) बस बार के दोष को सीमित कर पूरे विद्युत तंत्र को अनावश्यक ट्रिपिंग से बचाता है तथा उन्हीं ब्रेकर्स पर चयनात्मक ट्रिपिंग सुनिश्चित करता है जो बस बार पर दोष निवारण के लिए आवश्यक हो। ग्रिड नॉर्म तथा बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्रांसमिशन सिस्टम के अनुसार ग्रिड व्यवधान के दौरान प्रणाली स्थिरता बनाए रखने के लिए तथा 220 के वी बस पर तेजी से दोष दूर करने के लिए सभी 220 के वी उपकेन्द्रों में बी बी पी पी को चालू स्थिति में रखा जाता है।

²⁴ 132 के.वी. काशीपुर, 132 के.वी. पंतनगर, 132 के.वी. बाजपुर, 132 के.वी. कोटद्वार, 132 के.वी. ज्वालापुर, 132 के.वी. मंगलौर, 132 के.वी. भगवानपुर तथा 132 के.वी. रुड़की।

²⁵ 132 के.वी. काशीपुर-1, 132 के.वी. जसपुर, 132 के.वी. बाजपुर, 132 के.वी. कोटद्वार, 132 के.वी. ज्वालापुर, 132 के.वी. रुद्रपुर-पंतनगर, 132 के.वी. किच्छा-रुद्रपुर, 132 के.वी. किच्छा-सितारगंज, 132 के.वी. मंगलौर-रुड़की तथा 132 के.वी. रुड़की-भगवानपुर।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (अगस्त 2012) कम्पनी के सात 220 के वी उपकेन्द्र जहाँ बी बी पी पी स्थापित किया जाना आवश्यक था। हालाँकि कम्पनी ने सभी सात उपकेन्द्रों में पैनल प्रदान किया था, जिसमें से केवल पाँच चालू स्थिति में थे तथा दो कार्य करने की हालत में नहीं थे।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार किये एवं कहा (दिसम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् सितम्बर 2012 को सभी बी बी पी पी स्थापित कर दिए गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने 132 के वी उपकेन्द्र काशीपुर तथा रामनगर में स्थापित करने के लिए दो बस कप्लर के वर्ष 2010-11 में ₹ 0.73 करोड़ में खरीदे। उपरोक्त बस कप्लर क्रमशः जून/ जुलाई 2011 में रामनगर तथा काशीपुर उपकेन्द्रों में स्थापित कर दिये गए। स्थापना के एक वर्ष बाद भी उपरोक्त बस कप्लर उपयोग नहीं किये जा सके क्योंकि उन्हें पैनल से नहीं जोड़ा गया तथा बस कप्लर को खरीदने का उद्देश्य विफल रहा।



132 के वी एस एस काशीपुर के बस कप्लर का असंयोजित पैनल

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं कहा (दिसम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् उपरोक्त बस कप्लर सितम्बर 2012 को चालू कर दिये गए थे।

4.2.13 रख रखाव

4.2.13.1 करेन्ट ट्रान्सफॉर्मर (सी टी) का निष्पादन

करेन्ट ट्रान्सफॉर्मर (सी टी) विद्युत ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्क के सबसे महत्वपूर्ण एवं गहन लागत वाले घटक हैं, उनके जीवन काल को बढ़ाना तथा रख-रखाव का खर्च कम करना विशेष रूप से आवश्यक है। सी टी के परिचालन स्थिति की विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए सामान्त्यः तेल जाँच जैसे की मानक आयल डिजाल्व गैस एनलसिस (डी जी ए) की जाती है। सी टी इन्सूलेशन के लिए, इन्सुलेटेड तरल तथा ठोस इन्सूलेशन इंप्रेगनेटेड के संयोजन का उपयोग किया जाता है। इस इन्सुलेटेड प्रणाली की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन के लिए आमतौर पर डी जी ए का उपयोग किया जाता है, सी टी विफलता की स्थिति में तरल इन्सूलेशन का इस प्रकार डिग्रेडेशन होता है कि गैसों का योग विफलता का कारण चिन्हित करने में सक्षम हो पाता है। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान ट्रान्सफॉर्मर विफलता की घटनाओं को नीचे तालिका 4.2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2.3

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	विफल ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	गारंटी अवधि के दौरान विफल ट्रांसफॉर्मर की संख्या	साधारण ²⁶ कार्यदायी जीवन में विफल ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	रख रखाव एवं मरम्मत पर व्यय (₹ करोड़ में)
2007-08	1645	02	शून्य	02	0.16
2008-09	1648	09	शून्य	09	0.99
2009-10	1648	13	शून्य	13	0.41
2010-11	1679	14	शून्य	14	0.17
2011-12	1690	30	शून्य	30	0.17

(स्रोत: कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से सूचना)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने अपने तंत्र में 45 सी टी जोड़े हैं। विफल ट्रांसफॉर्मरों की संख्या भी वर्ष 2007-08 में दो से वर्ष 2011-12 में बढ़कर 30 हो गई। सी टी की विफलता का मुख्य कारण उपकेन्द्रों का अतिभारण (ओवरलोडिंग) था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया तथा व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी सी टी के रखरखाव एवं मरम्मत के खर्चों को कम करने में सफल रही थी।

4.2.13.2 हॉट लाइन खण्ड का कार्य

पारेषण प्रणाली का नियमित एवं आवधिक रखरखाव इसके निर्बाध संचालन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। देश में पारेषण की सर्वोत्तम प्रथाओं को अद्यतन करने वाली कमेटी की रिपोर्ट में न केवल लाइनों की नियत गश्त बल्कि लाइनो के रखरखाव के विभिन्न तकनीकों को भी बताया है, जिसमें हाट लाइन रखरखाव, हाट लाइन धुलाई, इंसूलेटर की पंचर खोज, पोर्टबल अर्थिंग हाट लाइन उपकरण, लाइन का कंपन माप थर्मो स्कैनिंग तथा उपकरणों का प्रदूषण माप सम्मिलित है।

हॉट लाइन तकनीकी (एच एल टी) में उपकेन्द्र तथा लाइन के रख रखाव के कार्य जैसे कि हॉट स्पॉट नटो तथा बोल्ट को क्रमशः कंडक्टर को नुकसान की जाँच इंसूलेटर का बदला जाना इत्यादि बिना लाइन बंद किये, करने की परिकल्पना की गई है। इसमें निवारक अनुरक्षण के तौर पर सभी उपकेन्द्रों तथा लाइनों की थर्मो स्कैनिंग शामिल है। एच एल टी को भारत में 1958 में पेश किया गया था। कम्पनी के पास अप्रैल 2007 को कोई हॉटलाइन खण्ड उपकेन्द्र नहीं था तथा यही स्थिति दिसम्बर 2012 तक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (अप्रैल 2012) हॉट लाइन खण्ड तथा थर्मो विजन कैमरे के अभाव में कम्पनी चोटियों पर, नदी में तथा घने जंगलों में स्थित टावरों को स्कैन करने की स्थिति में नहीं थी। आगे यह भी देखा गया कि उपरोक्त के संदर्भ में कोई लिखित मैनुअल/ दिशानिर्देश नहीं तैयार किये गये थे। हॉट लाइन खण्ड के अभाव में कम्पनी के पास निवारक अनुरक्षण तथा जोखिम भरे क्षेत्र का अग्रिम में पहचान करने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

²⁶ ट्रांसफॉर्मर का साधारण जीवन 25 वर्ष है।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि हॉट लाइन का निर्माण तथा रखरखाव अत्यन्त खर्चीला है, कम्पनी इसके विषय में निकट भविष्य में विचार करेगी।

4.2.13.3 पारेषण हानियाँ

जनरेटिंग स्टेशन से जब ऊर्जा का पारेषण एक वितरण तंत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है, उसमें कुछ ऊर्जा की हानि होती है जिसे टी एण्ड डी हानि कहते हैं। पारेषण हानि जनरेटिंग स्टेशन/ ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा तथा वितरण कम्पनी को भेजी गई ऊर्जा के बीच का अंतर है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) के अनुसार पारेषण हानि की अनुमन्य सीमा क्रमशः दो एवं पाँच प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समीक्षा अवधि के दौरान पारेषण हानि सीमा में थी तथा 1.35 प्रतिशत से 1.88 प्रतिशत (परिशिष्ट 4.9) के बीच थी एवं उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) द्वारा निर्धारित दो एवं पाँच प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा के अन्तर्गत थी।

पिछले पाँच वर्षों में कम्पनी की पारेषण हानि सी ई ए एवं यू ई आर सी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के भीतर रहे जो कि प्रशंसनीय था।

4.2.14 ग्रिड प्रबंधन

4.2.14.1 ग्रिड का रखरखाव और राज्य भार प्रेषण केन्द्र की समीक्षा

पारेषण और ग्रिड प्रबन्धन उत्पादन स्टेशनों से वितरण कम्पनियों/ उपभोक्ताओं तक बिजली पहुँचाने का एक आवश्यक कार्य है। ग्रिड प्रबन्धन पलपल- परस्पर बिजली व्यवस्था में ऊर्जा सतुलन के लिए विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययिता और विद्युत प्रणाली की दक्षता सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबन्धन का कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी ई ए) के द्वारा जारी किए गये ग्रिड के मानकों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। नेशनल ग्रिड में पाँच आंचल, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी ग्रिड समाहित हैं, इसमें से प्रत्येक का एक क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र आर एल डी सी है जो उस क्षेत्र में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक शीर्ष संस्था है।

उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) जो उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र नई दिल्ली को एक घटक है। राज्य में बिजली व्यवस्था के एकीकृत संचालन सुनिश्चित करता है। दो क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र जो डाटा अधिग्रहण और एस एल डी सी को हस्तान्तरण में सहायता तथा 132 के वी और 33 के वी उपकरणों के पर्यवेक्षी नियन्त्रण में सहायता करते हैं। एस एल डी सी, उत्पादन कम्पनियों और राज्य के भीतर बिजली के संचरण में लगे हुए अनुज्ञप्ति धारियों पर फीस लगाता और सग्रहण करता है जैसा कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा निर्देशित किया गया है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य का एस एल डी सी स्वतन्त्र रूप से संचालित नहीं हो रहा था बल्कि पारेषण उपयोगिता का संघटक था। यू ई आर सी के निर्देशों के बावजूद कम्पनी ने एस एल डी सी के कार्य को पृथक नहीं किया और एस एल डी सी के लेखों को अभी तक पृथक नहीं किया गया है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि एस एल डी सी के लेखों को पृथक् करना सरकार का विशेषाधिकार था पूर्व में चल रहे अभ्यास के अनुसार शुरू में खातों को अलग से तैयार किया गया था परन्तु बाद में उनको कम्पनी के लेखों के साथ विलय कर दिया गया। यद्यपि यह तथ्य है कि यू ई आर सी के निर्देशानुसार एस एल डी सी के लेखों को अलग से तैयार किया जाना चाहिये था, परन्तु अभी तक इसका अनुपालन नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)।

4.2.14.2 भार निगरानी के लिए आधारभूत संरचना

ग्रिड मानदण्डों के अनुसार सभी उपकेन्द्रों के लिए भार पारेषण केन्द्रों में आपातकाल के दौरान पारेषण प्रणाली एवं भार के दक्षता की निगरानी के लिए दूरस्थ टर्मिनल इकाईयाँ/ सब स्टेशन प्रबंधन प्रणालियाँ (आर टी यूज/ एस एम एसज) आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रैल 2012) कि कुल सात 220 के वी उपकेन्द्रों तथा, 132 के वी के 26 उपकेन्द्रों एवं 13 जनरेटर में से कुल सात जनरेटर²⁷ (53.85 प्रतिशत) और तीन उपकेन्द्रों²⁸ (9.09 प्रतिशत) के पास आर टी यूज थे जो कुशल ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली के लिये वास्तविक समय डेटा रिकार्डिंग करते थे। आगे राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) उपरोक्त व्यवस्था के साथ एकीकृत नहीं किया गया था और एस एल डी सी के पास डाटा स्टोर अथवा बैकअप की सुविधा नहीं थी। अतः इसने स्वयं को ग्रिड मानक के अनुसार पारेषण की दक्षता के लिए बने अनुश्रवण केन्द्र की बजाय एक प्रेक्षण केन्द्र तक सीमित रखा।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति के पश्चात (लगभग 80 प्रतिशत) उपकेन्द्रों में आर टी यूज स्थापित कर दिये हैं और बाकी में निकट भविष्य में स्थापित कर दिये जायेंगे।

4.2.14.3 आवृत्ति प्रबन्धन द्वारा ग्रिड अनुशासन

ग्रिड कोड के अनुसार ग्रिड के कुशल संचालन के लिए पारेषण उपयोगिताओं को ग्रिड अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। ग्रिड के सभी घटक सदस्यों को अप्रैल 2006 से मार्च 2009 के दौरान प्रणाली आवृत्ति को 49 और 50.5 हर्टज के बीच, अप्रैल 2009 से अप्रैल 2010 के बीच 49.2 और 50.3 हर्टज और मई 2010 से 49.5 और 50.2 हर्टज, बनाये रखना था, जिसके बहुत से कारण जैसे, उत्पादन क्षमता में कमी, अधिक माँग, लोड उत्पादन बैलेंस के रखरखाव में ग्रिड की अनुशासनहीनता, अपर्याप्त लोड निगरानी और प्रबंधन और ग्रिड आवृत्ति का एक तय सीमा से आवृत्ति ऊपर एवं नीचे होना था। ग्रिड अनुशासन को लागू करने के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) तीन प्रकार के उल्लंघन सन्देशों (अ ब स) को जारी करता है। सन्देश अ तब जारी किया जाता है जब आवृत्ति 49.2 हर्टज से कम और ओवर ड्रावल 50 मेगावाट (एम डब्ल्यू) से अधिक है अथवा अनुसूची का 10 प्रतिशत, जो भी कम है। उल्लंघन बी सन्देश तब जारी किया जाता है जब आवृत्ति 49.2 हर्टज से कम और ओवरड्रावल दस मिनट से अधिक 50 और 200 मेगावाट्स के बीच में रहता है या 200 मेगावाट से अधिक तथा पाँच मिनट से अधिक समय तक हो संदेश स (गम्भीर प्रकृति) सन्देश ब

²⁷ छिबरो, खोदरी, चीला तथा एम.बी. -1, 220 के.वी.एस.एस से जुड़ा हुआ है तथा धालीपुर, ढकरानी एवं कुलहाल 132 के.वी. एस.एस से जुड़ा हुआ है।

²⁸ 220 के.वी. एस.एस.: ऋषिकेश एवं चम्बा तथा 132 के.वी. एस.एस. माजरा, देहरादून।

के जारी करने के 15 मिनट बाद जारी किया जाता है जब आवृत्ति लगातार 49.2 हर्टज से नीचे और ओवरड्रावल 100 मेगावाट या दस प्रतिशत अनुसूची जो भी कम हो होता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अप्रैल 2012) कि अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय एस एल डी सी ऋषिकेश ने जारी किये गये सन्देशों के रिकार्ड का रखरखाव नहीं किया था इस सम्बन्ध में एस एल डी सी ने कहा (मई 2012) कि उत्तराखण्ड में केवल एक पारेषण उपयोगिता और एक वितरण कम्पनी कार्य करती है, इसलिए ग्रिड अनुशासन बनाये रखने के लिए एस एल डी सी प्राथमिक ग्रिड उपकेन्द्र (कम्पनी के प्रतिनिधि) को निर्देश जारी करती है और कम्पनी के प्रतिनिधि माध्यमिक उपकेन्द्रों (वितरण के प्रतिनिधि) को भार कम करने के लिए प्रेषित कर देते हैं।

अ, ब और स सन्देश प्रणाली को रिकॉर्ड न करने के कारण, सन्देश उनकी अत्यावश्यकता का प्रभावी ढंग से प्रसारण नहीं किया जा सका था। जो ग्रिड की स्थिरता के लिए एक खतरा और निर्धारित ग्रिड कोड का उल्लंघन था।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद ए बी और सी सन्देशों को रिकॉर्ड करने का सार्थक प्रयास शुरू किया जा रहा है।

4.2.14.4 ग्रिड अनुशासन

ग्रिड अनुशासन बनाये रखने के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई आर सी) ग्रिड की कम आवृत्ति में ओवरड्रावल जिससे ग्रिड को क्षति पहुँचे, का याचिका स्वतः स्फूर्त संज्ञान में लेता है। लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2012) कि कम्पनी ने ग्रिड अनुशासन का नौ बार उल्लंघन किया (अप्रैल 2010), परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ नौ लाख का जुर्माना देना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन का मुख्य कारण माँग और अनुसूची में अन्तर रहा है जो वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) द्वारा निर्धारित होता है। अप्रैल 2010 के बाद से कम्पनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था और ग्रिड आवृत्ति का रखरखाव मानकों के अनुसार किया जा रहा था। तथापि, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ग्रिड अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी कम्पनी की थी।

4.2.14.5 बैंकिंग डाऊन निर्देश (बी डी आई)

जब आवृत्ति एक आदर्श सीमा से अधिक होती है अर्थात् ऐसी स्थिति जिसमें विद्युत उत्पादन अधिक तथा निकासी कम (आवृत्ति 50 हर्टज से अधिक), उस स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) सुरक्षित एकीकृत ग्रिड संचालन को सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में ऊर्जा व्यवस्था के संचालन को मित्तव्ययी और दक्षता को बनाये रखने के लिए जनरेटरों को उत्पादन कम करने के लिए बैंकिंग डाऊन निर्देश जारी करता है। जनरेटरों द्वारा एस एल डी सी के निर्देशों को न मानने पर इसे ग्रिड कोड का उल्लंघन माना जायेगा और वे दण्ड के अधिकारी होंगे। लेखापरीक्षा ने देखा कि कम्पनी ने 8.78 एम यू पर 23 अवसरों पर बी डी आई जारी किया जिनका जनरेटरों द्वारा 2007-08 से 2011-12 की अवधि में पूर्ण पालन किया गया। यह प्रशंसा योग्य था कि जनरेटरों द्वारा बी डी आई निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन किया गया।

4.2.14.6 ऊर्जा खरीद की योजना

कम्पनी, अनुबन्धित उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर केन्द्रीय क्षेत्र और भविष्य के प्रतिबद्ध परियोजनाओं तथा राज्य की वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता के मूल्यांकन पर परामर्श कर, ऊर्जा आपूर्ति की एक लम्बी योजना बनाती है। यह दिन प्रतिदिन के ऊर्जा की आवश्यकता का निर्धारण कर एक दिन पहले उसकी योजना बनाती है। राज्य की कुल आवश्यकता, कुल ऊर्जा आपूर्ति और ऊर्जा की कमी के पाँच वर्ष 2007-08 से 2011-12 का विवरण नीचे तालिका 4.2.4 में दिया गया है:

तालिका 4.2.4		(मिलियन यूनिट में)				
क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	कुल ऊर्जा की आवश्यकता	7052.18	7848.19	8936.15	9853.88	10577.93
2	कुल ऊर्जा की आपूर्ति ²⁹	6847.61	7769.73	8355.74	9293.81	10277.98
3	ऊर्जा की कम आपूर्ति	204.57	78.46	580.41	560.07	299.95
4	ऊर्जा की कमी प्रतिशत में	2.90	0.99	6.50	5.68	2.83

(स्रोत: कम्पनी के द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से सूचना)

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा कमी का प्रतिशत घटने की प्रवृत्ति में है अर्थात् 2009-10 में 6.50 से 2011-12 में 2.83 प्रतिशत।

माँग-आपूर्ति में अन्तर भी वास्तविक उत्पादन या वास्तविक निकासी तथा अनुसूचित उत्पादन या अनुसूचित निकासी के बीच का यू आई शुल्क के तहत एस एल डी सी के प्रत्येक 15 मिनट के समय ब्लॉक के आधार पर निकाला जाता है। यू आई शुल्क पूर्व प्रतिबद्ध दैनिक कार्यक्रम, से ऊर्जा की आपूर्ति एवं खपत में विभिन्नता के आधार पर लगाया जाता है। यह शुल्क प्रणाली आवृत्ति के समय आपूर्ति/ खपत के समय से भिन्न होता है। अतः यह आपूर्ति के समय ऊर्जा के मामूली कीमत को दर्शाता है। यू आई शुल्क लगाना कम आवृत्ति की स्थिति के दौरान केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशन से अधिक आहरण पर अंकुश लगाने के लिए एक वाणिज्यिक निवारक के रूप में काम करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2012) कि राज्य की वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान 2502.15 मिलियन यूनिट (एम यू) यू आई ओवर ड्राल की जिसकी लागत ₹ 1126.27 करोड़ थी तथा प्रति इकाई लागत ₹ 3.72 से ₹ 5.66 के बीच थी। ऊर्जा कमी का प्रतिशत घटते क्रम में था क्योंकि वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) माँग की आवश्यकतानुसार ऊर्जा की ओवर ड्राल करती थी परिणामस्वरूप महँगी ऊर्जा का भार उपभोक्ता को वहन करना पड़ा था।

4.2.15 आपदा प्रबंधन

4.2.15.1 आपदा प्रबंधन का उद्देश्य प्रणाली में बड़े बैक डाउन के प्रभाव को कम करना तथा कम से कम सम्भव समय में उसे बहाल करना होता है। सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, सभी ऊर्जा कम्पनियों को स्थापित करना चाहिए ताकि बड़े विफलता के समय पारेषण प्रणाली को तत्काल बहाल किया जा सके। आपात कालीन

²⁹ उत्पादन सहित, लघु और दीर्घावधि की खरीद तथा आहरण केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से।

बहाली प्रणाली, डीजल जनरेटर सेट, वाहन, अग्नि शमन उपकरणों, कुशल और विशेष जनशक्ति का उपयोग कर इसका कार्यान्वयन किया जाता है।

आपदा प्रबन्धन केन्द्र, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, नई दिल्ली आपदा के मामले में एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा। कम्पनी द्वारा वर्ष में एक बार डी एम कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ब्लैक स्टार्ट³⁰ परिचालन के दौरान उत्पादन केन्द्र को चालू करने के लिए मॉक ड्रिल का सम्पादन किया जाना चाहिए था। तथापि, कम्पनी ने किसी भी सब स्टेशन पर 2007-08 से 2011-12 के दौरान कोई मॉक ड्रिल नहीं किया था।

4.2.15.2 आपदा प्रबन्धन की अपर्याप्त सुविधायें

अतिरिक्त उच्च तनाव (ई एच टी) वाले उपकेन्द्रों पर डीजल जनरेटिंग (डी जी) सेट्स एवं सिन्क्रोस्कोप्स³¹ जो आपदा प्रबन्धन (डी एम) की सुविधा के एक भाग के रूप में होते हैं तथा मुख्य जनरेटिंग केन्द्रों को जोड़ते हैं कि उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2012) कि 400 के वी, 220 के वी और 132 के वी के कुल 35 उप केन्द्रों पर डी जी सेट एवं सिन्क्रोस्कोप्स उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त बारिश और बाढ़ में इक्टा हुए पानी की निकासी के लिए पम्प सैट भी आवश्यक है। डी जी और पम्प सैट की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा ने निम्न दृष्टान्त देखे।

- भारी वर्षा के परिणामस्वरूप बाढ़ का पानी इकट्ठा हो जाने के कारण 132 के वी उपकेन्द्र भूपतवाला हरिद्वार द्वारा आच्छादित क्षेत्र पूर्णतया अन्धकार में डूबा हुआ था क्योंकि सभी पैनल 19 सितम्बर 2010 से 22 सितम्बर 2010 तक बुरी तरह प्रभावित थे, जैसा कि नीचे दिखाये गये फोटोग्राफ से स्पष्ट है।



132 के वी एस एस भुपतवाला, हरिद्वार की बाढ़ के दौरान स्विच यार्ड की फाईल फोटो



132 के वी एस एस भुपतवाला, हरिद्वार की बाढ़ के दौरान की फाईल फोटो

³⁰ वह प्रक्रिया जो आंशिक या पूर्ण अंधेरे से बाहर निकलने के लिए आवश्यक हो।

³¹ एक ए सी विद्युत प्रणाली यह वह युक्ति है जो एक डिगी को प्रदर्शित करती है जिसमें दो पद्धति जनरेटर या ऊर्जा तन्त्र एक दूसरे से जुड़ते हैं।

- इसी प्रकार, 17 अगस्त 2011 को भारी वर्षा के कारण 132 के वी उपकेन्द्र काशीपुर में पानी भर गया और पूर्ण व्यवस्था को बन्द करना पड़ा जो 24 से 36 घण्टे बाद शुरू हो पायी क्योंकि सभी पैनल बाढ़ के पानी द्वारा बुरी तरह प्रभावित थे। पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति इस अवधि में बुरी तरह प्रभावित हुई।



132 के वी एस एस काशीपुर के फीडर की बाढ़ के दौरान की फाईल फोटो



132 के वी एस एस काशीपुर की बाढ़ के दौरान बिल्डिंग की फाईल फोटो

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (जून 2012) और कहा कि उपकेन्द्रों पर डी जी सेट की आवश्यकता थी क्योंकि ब्रेक डाउन प्राकृतिक आपदा और ब्लैक आउट के समय ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि 132 के वी सब स्टेशन लक्सर भी 16.08.2011 को बाढ़ और भारी वर्षा के कारण प्रभावित था और पूरी व्यवस्था बन्द करनी पड़ी थी तथा 12 घण्टे बाद ही बहाली हो पाई क्योंकि उपकेन्द्र में तीन फीट और नियन्त्रण कक्ष में एक फीट पानी इकट्ठा हो गया था तथा सभी पैनल प्रभावित हुए थे। इस अवधि के दौरान पूरे शहर की विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई जैसा कि नीचे दिखाये गये फोटोग्राफ से स्पष्ट है:



132 के वी एस एस लक्सर की बाढ़ के दौरान स्विच यार्ड की फाईल फोटो



132 के वी एस एस लक्सर के कन्ट्रोल रूम की बाढ़ के दौरान की फाईल फोटो

यदि कम्पनी डी जी/ पम्पसेट पहले से ही स्थापित रखती तो विद्युत आपूर्ति में लम्बी बाधा की स्थिति से बचा जा सकता था। उपर्युक्त घटना के बावजूद कम्पनी ने डी जी सेट/ पम्प सेट खरीदकर उपकेन्द्रों पर अब तक स्थापित नहीं किया।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने मेटल डिटेक्टर की स्थापना/ प्रावधान तथा आतंकी घटना, तोड़ फोड़ तथा बम की आशंका जैसी कठिन स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निपटने के लिए सुरक्षा बल को स्थल की सुरक्षा सौंपने के लिए, असुरक्षित उपकेन्द्रों की पहचान नहीं की थी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कम्पनी किसी भी आपदा का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी। कम्पनी के पास आपदा से उबरने अथवा कार्य की निस्तरता बनाये रखने की कोई अभिलेखीय योजना नहीं की जिसका अनुसरण आपातकाल के दौरान किया जा सके।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि डी जी सभी नये उपकेन्द्रों पर स्थापित किये गये हैं और अगले वित्त वर्ष में महत्वपूर्ण उपकेन्द्रों पर स्थापित करने की योजना है। तथापि, आपदा से उबरने तथा कार्य की निस्तरता बनाये रखने की अभिलेखीय योजना के अभाव के सम्बन्ध में कम्पनी के पास कोई जवाब नहीं था।

4.2.16 ऊर्जा लेखा और लेखापरीक्षा

पारेषण हानि का निर्धारण तथा उसे कम करने के लिए ऊर्जा का लेखांकन एवं लेखापरीक्षा आवश्यक है। पारेषण हानि की गणना मीटर रीडिंग यंत्र (एम आर आई) द्वारा की जाती है। उत्पादन से पारेषण (जी टी) और पारेषण से वितरण (टी डी) सीमा मीटरिंग बिन्दु से रीडिंग प्राप्त की जाती है। 31 मार्च 2012 को 85 अन्तर सीमा मीटरिंग बिन्दु, टी डी (68) और जी टी (17) थे। सभी पी टी और जी टी बिन्दुओं को 0.5 एक्ज्यूरेसी क्लास के मीटर उपलब्ध कराये गये थे।

21 फीडरो के साथ पाँच खण्डों³² के प्रत्येक वर्ष (2007-08 से 2011-12) के तीन महीनों, मार्च से मई तक की अवधि के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान आँकड़ों के विश्लेषण से निर्दिष्ट हुआ कि फीडरों की पारेषण की हानियाँ, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) और केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सी ई ए) द्वारा निर्धारित मानकों के अन्दर थी।

4.2.17 वित्तीय प्रबन्धन

4.2.17.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के मुख्य उद्देश्यों में से एक ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय स्थिति एवं वाणिज्यिक सक्षमता को सुनिश्चित करना था। वर्ष 2011-12 को समाप्त पाँच वर्षों की कम्पनी की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई तालिका 4.2.5 में दिखाया गया है।

³² 400 के.वी. ओ एण्ड एम काशीपुर, 132 के वी ओ एण्ड एम काशीपुर, 220 के वी ओ एण्ड एम पंतनगर, 220 के वी ओ एण्ड एम देहरादून तथा 220 के वी ओ एण्ड एम रुड़की।

तालिका 4.2.5

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 ³³
अ. देयता					
प्रदत्त पूँजी	102.58	122.28	172.09	187.09	227.41
आरक्षित एवं आधिक्य (पूँजी अनुदान सहित)	(-) 0.65	(-) 21.02	(-) 48.03	(-) 57.58	(-) 37.36
उधार (ऋण निधियाँ)	617.37	607.68	644.48	692.00	710.19
चालू देयता एवं प्रावधान (सी एल)	139.16	168.27	164.91	203.04	186.28
कुल	858.46	877.21	933.45	1024.68	1086.52
ब. सम्पत्तियाँ					
सकल ब्लॉक	524.78	557.76	612.81	690.94	793.74
घटाओं : ह्रास	197.46	231.73	254.09	273.66	295.48
पूँजीगत कार्य प्रगति पर (सी डब्लू आई पी)	321.56	373.97	263.17	299.83	267.01
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (सी एल)	209.58	177.22	311.55	307.56	321.25
कुल	858.46	877.21	933.45	1024.68	1086.52
टैक्स के बाद का लाभ/हानि, लाभ/ हानि खाते के अनुसार	(-) 13.98	(-) 19.05	(-) 26.97	(-) 9.50	(-) 2.07
ऋण-समता अनुपात	6.02:1	4.97:1	3.74:1	3.70:1	3.12:1
ब्याज (कुल निर्माण के दौरान का ब्याज जो पूँजीकृत हुआ ³⁴)	16.08	22.25	27.83	30.57	36.87
कुल प्रतिफल	80.72	87.22	78.68	102.83	135.25
नियोजित पूँजी ³⁵	651.96	637.47	578.62	599.59	643.51
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय प्रतिशत में	12.38	13.68	13.59	17.15	21.02

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी की हानि में 85.19 प्रतिशत की कमी आयी जो वर्ष 2007-08 में ₹ 13.98 करोड़ से वर्ष 2011-12 ₹ 2.07 करोड़ हो गयी। इसके अतिरिक्त कम्पनी का ऋण-समता अनुपात 2007-08 से 2011-12 के दौरान 6.02:1 से घटकर 3.12:1 हो गया। ऋण-समता अनुपात में कमी का मुख्य कारण सरकारी ऋण का वर्ष 2009-10 के बाद से इक्विटी में बदलना है।

पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत वर्ष 2007-08 में 12.38 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 21.02 प्रतिशत हो गया जो कि पूँजी कार्य प्रगति में कमी के कारण वर्ष 2007-08 में ₹ 321.56 करोड़ से वर्ष 2011-12 में ₹ 267.01 करोड़ और कार्यशील पूँजी जो सकल चालू सम्पत्ति का ₹ 3.08 करोड़ वर्ष 2007-08 से सकल चालू दायित्व जो वर्ष 2011-12 में ₹ 121.82 करोड़ की कमी के कारण हुआ।

यह भी देखा गया कि कम्पनी की उधार की रकम जो वर्ष 2007-08 में ₹ 617.37 करोड़ थी, 2011-12 में बढ़कर ₹ 710.19 करोड़ हो गयी।

³³ 2011-12 के सम्बन्ध में विवरण अनंतिम है।

³⁴ निर्माण के दौरान ब्याज।

³⁵ नियोजित पूँजी = नेट स्थायी सम्पत्ति (डब्लू आई पी सहित) + ऋण और अग्रिम छोड़कर कार्यशील पूँजी सहित।

4.2.17.2 कार्य परिणाम का विवरण जैसे राजस्व वसूली शुद्ध अधिशेष/हानि तथा आय एवं प्रति इकाई पारेषण की लागत वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि नीचे दी गयी तालिका 4.2.6 में दर्शायी गयी है:

तालिका 4.2.6

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 ³⁶
1	आय					
	राजस्व	78.02	86.71	75.81	101.74	132.93
	अन्य आय ब्याज/अनुदान सम्मिलित	2.70	0.51	2.87	1.09	2.32
	कुल आय	80.72	87.22	78.68	102.83	135.25
2	पारेषण					
(अ)	स्थापित क्षमता (एम वी ए)	4550.50	4550.50	4590.50	4630.50	4990.50
(ब)	उत्पादन इकाईयों से प्राप्त ऊर्जा (मी यूज में) ³⁷	7400.60	10033.37	11449.90	11449.90	12298.99
	कुल	7400.60	10033.37	11449.90	11449.90	12298.99
(स)	पारेषण में हानि (एम यूज में)	100.23	186.84	194.78	214.75	229.15
	कुल ऊर्जा प्रेषित (अ)+(ब)-(स)-एम यूज में	7300.37	9846.53	11255.12	11235.15	12069.84
3	व्यय					
(अ)	स्थायी लागत					
(i)	कार्मिक लागत	30.12	31.09	33.97	37.69	45.94
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	10.07	8.76	9.24	12.76	14.66
(iii)	हमस	30.62	34.27	22.36	19.57	21.82
(iv)	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार (पूँजीकृत के बाद निबल)	16.08	22.25	27.83	30.57	36.87
	कुल स्थायी लागत	86.89	96.37	93.40	100.59	119.29
(ब)	परिवर्तनशील लागत-मरम्मत एवं रखरखाव	7.81	9.91	12.25	11.75	18.03
(स)	कुल लागत 3 (अ) + (ब)	94.70	106.28	105.65	112.34	137.32
4	वसूली (₹ प्रति इकाई)	0.11	0.09	0.07	0.09	0.11
5	स्थायी लागत (₹ प्रति इकाई)	0.12	0.10	0.08	0.09	0.10
6	परिवर्तनशील लागत (₹ प्रति इकाई)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
7	कुल लागत (₹ प्रति इकाई) (5 + 6)	0.13	0.11	0.09	0.10	0.11
8	अंशदान (₹ प्रति इकाई) (4-6)	0.10	0.08	0.06	0.08	0.10
9	लाभ(+)/ हानि(-) (4-7) (₹ प्रति इकाई)	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-

(स्रोत: कम्पनी के पास उपलब्ध आकड़ों से संकलित सूचना)

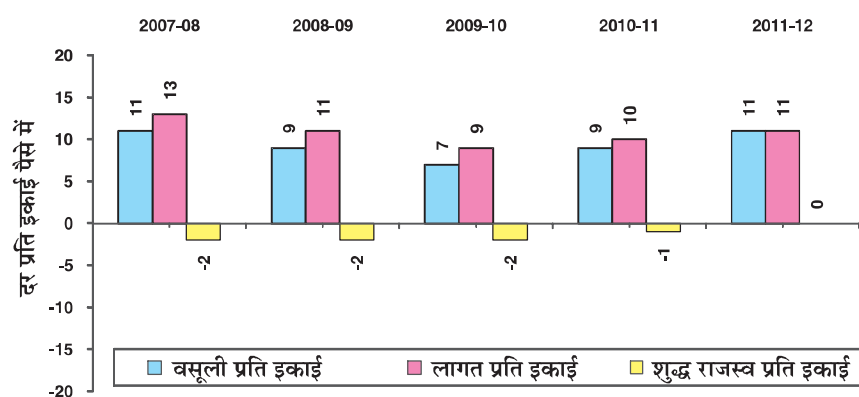
उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रति इकाई वसूली अस्थिर रही है और प्रति इकाई लागत में वर्ष 2007-08 से 2011-12 में ₹ 0.13 से ₹ 0.11 (15.38 प्रतिशत) की कमी हुई। इसके अतिरिक्त कुल वसूली वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में बढ़कर ₹ 54.53 करोड़ हो गयी तथा 2007-12 की अवधि के दौरान प्रति इकाई अंशदान भी ₹ 0.06 से ₹ 0.10 के बीच अस्थिर रहा।

³⁶ 2011-12 के सम्बन्ध में विवरण अनंतिम है।

³⁷ निजी उत्पादन सहित।

घटक/ तत्व थे जो वर्ष में कुल लागत का क्रमशः 33.45, 26.85 और 15.89 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते थे।

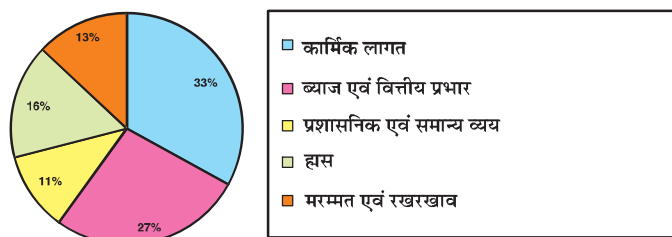
4.2.17.3 संयोजन लागत की वसूली ग्रिड में दक्षता बढ़ाने के लिए पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज में परिवर्तित की जाती है। 2007-08 से 2011-12 के दौरान कंपनी के मुख्य ग्राहकों में वोल्टेज को एक स्तर (यू.एस.एस) से काई बढ़ाकर दूसरे स्तर (एल.एस) तक बढ़ाया गया (यू.एस.एस से एल.एस तक)। तथापि, 2011-12 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रति यूनिट लागत और शुद्ध राजस्व वसूली की स्थिति नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शाया जा सकता है:



उपरोक्त से यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा अर्जित कुल राजस्व कुल लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त था। कम्पनी पारेषण क्षमता में वृद्धि, नये उपकेन्द्रों एवं पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए पूर्णतया ऋण पर निर्भर थी। हानियों का मुख्य कारण बढ़ते कर्मचारियों की लागत, ब्याज एवं वित्तीय प्रभार है जिसे वर्ष 2007-12 के दौरान कम्पनी को वहन करना पड़ा था।

4.2.17.4 लागत के तत्व

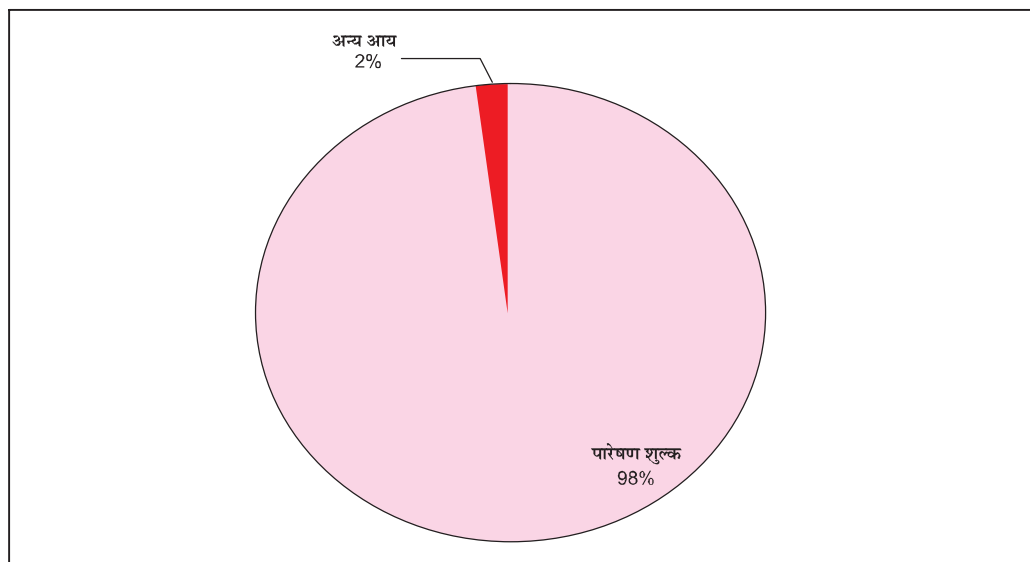
2011 -12 में लागत के मुख्य तत्वों का अलग-अलग प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिया गया है:



वर्ष 2011-12 के दौरान, कर्मचारी लागत (33 प्रतिशत), ब्याज एवं वित्त प्रभार (27 प्रतिशत) और ह्रास (16 प्रतिशत) कम्पनी के लागत एवं कुल व्यय के मुख्य धारक थे। यह विचारणीय है कि उपर्युक्त तीनों धारक (76 प्रतिशत) स्थायी लागत के भाग हैं, कम्पनी के लिए निकट भविष्य में इन धारकों पर व्यय कम करना कठिन हो सकता है।

4.2.17.5 राजस्व के तत्व

पारेषण शुल्क राजस्व का एक प्रमुख तत्व है। वर्ष 2011-12 के लिए राजस्व का अलग-अलग (ब्रेक अप) प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दर्शाया गया है।



उपर्युक्त से स्पष्ट है कि कम्पनी का पारेषण शुल्क कुल राजस्व का 98 प्रतिशत था।

4.2.17.6 राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) शुल्क का संग्रहण

राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) शुल्क 2010-11 से शुरू हुआ था और कम्पनी ने यह शुल्क ₹ 0.03 करोड़ की राशि एक प्राइवेट जनरेटर³⁸/ओपन एक्सेस पर मार्च 2012 तक आरोपित किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई 2012) कि राज्य की एस एल डी सी अपने लेखों का अलग से रखरखाव नहीं कर रही थी और वह कम्पनी के एक भाग की तरह कार्य कर रही थी। परिणामस्वरूप एस एल डी सी ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) के समक्ष अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) अलग से प्रस्तुत नहीं की इसलिए इसने राज्य के वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से मार्च 2012 तक एस एल डी सी शुल्क के रूप में कोई वसूली नहीं की।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और व्यक्त किया कि राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इस मामले में अतिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

³⁸ मेसर्स बी.एच.पी.एल।

4.2.17.7 वितरण कम्पनी (उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) से अधिभार का संग्रह

कम्पनी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) पर टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट आवंटित क्षमता दरों पर मासिक पारेषण बिल प्रस्तुत करती है। बिलों का भुगतान बिल जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर किया जाना है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (मई 2012) कि यू पी सी एल द्वारा न तो कोई साखपत्र (एल सी) अभी तक खोला गया था और न ही समझौते में दण्ड का प्रावधान ही सम्मिलित किया गया था। साख पत्र के अभाव में यू पी सी एल द्वारा शुल्क के भुगतान में 15 से 45 दिन तक विलम्ब किया गया था। परिणामस्वरूप, पारेषण बिलों में ब्याज का नुकसान हुआ। कम्पनी द्वारा कोई दण्डात्मक शुल्क नहीं लगाया जा सका क्योंकि यू पी सी एल के साथ किये गये समझौते में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकारा और कहा (दिसम्बर 2012) कि वितरण कम्पनी के साथ साख पत्र यथा समय खोला जायेगा।

4.2.18 टैरिफ निर्धारण

एक कम्पनी की वित्तीय व्यवहार्यता इस पर निर्भर करती है कि वह बुद्धिमत्तापूर्ण वित्तीय व्यवस्था को अपनाते हुए अपने संचालन से इतना आधिक्य उत्पादित करे (निष्पक्ष रिटर्न सहित) कि उसकी परिचालन आवश्यकता तथा भविष्य में पूँजी विस्तार कार्यक्रम का वित्त पोषण हो सके। राजस्व संग्रह कम्पनी के कोष को बढ़ाने का मुख्य स्रोत है। टैरिफ से सम्बन्धित बिन्दुओं (मुद्दों) की चर्चा निम्न है:

कम्पनी की टैरिफ संरचना उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) द्वारा अनुमोदन के अधीन था। यह आगे इस बात के अधीन है कि कम्पनी अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ए आर आर) निर्दिष्ट तिथि को प्रस्तुत करे और उस पर कोई आपत्ति आरोपित न हो। कम्पनी से यह अपेक्षित था कि वह अपना प्रत्येक वर्ष का ए आर आर; पिछले वर्ष के 30 नवम्बर तक प्रस्तुत कर दें। यू ई आर सी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की, ऐसे संशोधन/शर्तों के साथ जो युक्तिसंगत हो सकते हो तथा सार्वजनिक तथा दूसरे हितधारियों के सभी सुझाव तथा आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त, स्वीकार करता है। ए आर आर प्रस्तुत करने की नियत तिथि, वास्तविक तिथि, टैरिफ याचिका की अनुमोदन तिथि और पुनरीक्षित, टैरिफ की प्रभावी तिथि नीचे तालिका 4.2.7 में दिया गया है:

तालिका 4.2.7

वर्ष	प्रस्तुतीकरण की देय तिथि	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि	विलम्ब दिनों में	अनुमोदन की तिथि	प्रभावी तिथि
2007-08	30-11-2006	02-03-2007	89	18-03-2008	01-04-2007
2008-09	30-11-2007	स्वयं ही कार्यवाही शुरू कर दी	-	18-03-2008	01-04-2008
2009-10	30-11-2008	31-12-2008	31	21-10-2009	01-04-2009
2010-11	30-11-2009	30-11-2009	-	06-04-2010	01-04-2010
2011-12	30-11-2010	29-11-2010	-	10-05-2011	01-04-2011

(स्रोत: कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से सूचना संकलित)

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि कम्पनी वर्ष 2008-09 में ए आर आर प्रस्तुत नहीं कर सकी और वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 की याचिका विलम्ब से प्रस्तुत की गयी थी। कम्पनी द्वारा 2008-09 की ए आर

आर याचिका समय पर प्रस्तुत न करने के कारण यू ई आर सी ने टैरिफ स्वयं ही संशोधित कर दिया। 2004 के विनियमन 56 (4) के अनुसार और पारेषण गतिविधि के लिए टैरिफ निर्धारण की सेवा एवं शर्तों के अनुसार कम्पनी यू ई आर सी को अपनी राजस्व आवश्यकता जो उसके पारेषण व्यवसाय की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लागत को पूरा करने के लिए आवश्यक है, ए आर आर प्रस्तुत करनी है। जिसकी वसूली की अनुमति यू ई आर सी टैरिफ और शुल्क के माध्यम से देता है जो कम्पनी की आय का मुख्य स्रोत होता है।

कम्पनी द्वारा प्रस्तुत ए आर आर प्रस्ताव और आयोग द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव नीचे की तालिका 4.2.8 में दिया गया है:

तालिका 4.2.8

पारेषण टैरिफ						
वर्ष	कम्पनी			यू ई आर सी		
	पारेषण की कुल क्षमता (एम डब्लू)	राजस्व आवश्यकता (₹ करोड़ में)	टैरिफ ₹/के डब्लू/महीना	पारेषण की कुल क्षमता (एम डब्लू)	राजस्व आवश्यकता (₹ करोड़ में)	टैरिफ ₹/के डब्लू/महीना
2007-08	1792.00	155.93	72.51	1792.00	91.19	42.40
2008-09	यू ई आर सी द्वारा स्वयं ही कम्पनी के ए आर आर का अनुमोदन क्योंकि कम्पनी ए आर आर प्रस्तुत करने में असफल रही				86.71	-
2009-10	1809.27	144.84	92.22	1809.27	102.53	65.28
2010-11	1891.59	172.68	91.29	1891.59	101.74	53.79
2011-12	1989.68	247.10	103.51	1989.68	131.82	55.22

(स्रोत: कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से सूचना संकलित)

विनियमन के अनुसार, कम्पनी नियन्त्रणीय मर्दों (प्रचालन एवं रखरखाव, नियोजित पूँजी पर प्रत्याय, हास और बिना टैरिफ वाली आय) के सम्बन्ध में व्यय का विवरण यू ई आर सी के समक्ष प्रस्तुत करेगी जो बदले में समीक्षा करेगा तथा जहाँ आवश्यक है युक्तिसंगत समायोजन करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2012) कि कम्पनी ने 2008-09 को छोड़कर वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए ₹ 720.55 करोड़ की राजस्व आवश्यकता का प्रस्ताव पेश किया जिसके सापेक्ष यू ई आर सी ने कुल ₹ 427.28 करोड़ की अनुमति दी। यू ई आर सी ने स्वयं ही कम्पनी को 2008-09 के लिए ₹ 86.71 करोड़ का टैरिफ दिया। आगे, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि लेखापरीक्षित खातों तथा सम्पत्ति के पूँजीकरण के अभाव में कम्पनी का 2004-05 से 2010-11 का अंतिम ड्रइंग अप अभी भी लम्बित पड़ा था। इसके कारण कम्पनी को अस्वीकृत व्यय/ लागत स्वयं के स्रोतों से वहन करना पड़ा।

कम्पनी ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान हानि उठायी थी और मार्च 2012 तक कम्पनी की संचयी हानि ₹ 103.87 करोड़ थी। कम्पनी की संचयी हानि को कम किया जा सकता था। यदि कम्पनी अपने ए आर आर ड्रइंग अप को यू ई आर सी के समक्ष प्रस्तुत कर देती।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि बहु-वर्षीय टैरिफ याचिका एक महीने के अन्दर यू ई आर सी के समक्ष दायर की जायेगी।

4.2.19 प्रणाली की उपलब्धता

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (यू ई आर सी) विनियमन 2004 के अनुसार यदि कम्पनी अपने आल्टरनेटिव करंट प्रणाली के लक्ष्य की उपलब्धता 98 प्रतिशत प्राप्त कर लेती है तो वह पूरी वार्षिक पारेषण शुल्क की वसूली की हकदार है और यदि उसकी उपलब्धता 98 प्रतिशत से कम होती है तो वार्षिक पारेषण शुल्क (ए टी सी) यथानुपात कम हो जायेगा। कम्पनी की प्रणाली की उपलब्धता 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में क्रमशः 99.24, 99.14 और 99.50 प्रतिशत थी।

इस मेधावी प्रदर्शन के लिए भारत सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा कम्पनी को प्रणाली उपलब्धता पर गोल्ड शील्ड से सम्मानित (मार्च 2012) किया गया था जो प्रशंसनीय था।

4.2.20 सामग्री प्रबन्धन

4.2.20.1 सामग्री प्रबन्धन के महत्वपूर्ण कार्यों में भण्डार नियन्त्रण नीति, सामग्री खरीद की प्रणाली और अप्रचलित भण्डार का निपटान निर्धारित है। यद्यपि, कम्पनी के पास प्रलेखित अधिप्राप्ति एवं अनुबन्ध नियमावली थी, तथापि केन्द्रीय भण्डार द्वारा समुचित कार्यचालन के अभाव में अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा था और मितव्ययी अधिप्राप्ति एवं भण्डार पर कुशल नियन्त्रण के लिए भण्डार नियन्त्रण तन्त्र का अभाव था।

4.2.20.2 भण्डार मानकों का निर्धारित न किया जाना

2007-08 से 2011-12 की अवधि के प्रारम्भिक रहातिया खरीद, निर्गम और अंतिम रहातिया का विवरण तालिका 4.2.9 में नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2.9

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपभोग (प्रति वर्ष)	उपभोग (प्रति माह)	शुद्ध अन्तिम रहतियाँ (आर्थिक चिट्ठी के अनुसार)	अन्तिम रहतियाँ महीनों के उपभोग के सन्दर्भ में
2007-08	15.52	1.29	28.26	21.91
2008-09	18.12	1.51	23.43	15.52
2009-10	13.48	1.12	22.03	19.67
2010-11	19.02	1.58	26.61	16.84
2011-12	12.48	1.04	30.39	29.22

(स्रोत: कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से सूचना संकलित)

हालाँकि कम्पनी की अंतिम रहतियाँ 2007-08 में 21.90 महीनों के बराबर थी जो 2011-12 में बढ़कर 29.22 महीनों के उपभोग के बराबर हो गयी, फिर भी अभी तक कम्पनी ने न तो भण्डार रखने का कोई न्यूनतम/अधिकतम स्तर निर्धारित किया था और न ही कोई अ ब स विश्लेषण ही किया गया था, या सामग्री की आवश्यकता के लिए कोई पुनर्आदेश की सीमा भी निर्धारित किया था।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि कम्पनी की स्थापना के समय ₹ 21.53 करोड़ की रहतियाँ वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से स्थानान्तरित हुआ था और यह अभी भी कम्पनी के रहतियों में पड़ा है। इसको कुल रहतियों से घटाने के बाद कम्पनी की अंतिम रहतियाँ उपभोग के हिसाब से 5.21 महीने के लिए शेष

बचता है जो व्यवसाय के लिए आवश्यक है। प्रबन्धन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी भण्डार का अधिकतम और न्यूनतम सीमा, अ ब स विश्लेषण और सामग्री खरीद के लिए मित्तव्ययी आदेश मात्रा को न अपनाने के मामले में मौन रहीं थी। इसके अतिरिक्त वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) द्वारा स्थानान्तरित ₹ 21.53 करोड़ का भण्डार कम्पनी की रहतिये का ही एक हिस्सा था।

4.2.20.3 भण्डार का भौतिक सत्यापन न होना

सामान्य वित्तीय नियम 116 (1) के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। कम्पनी के पास दो केन्द्रीय स्टोर गढ़वाल जोन का ऋषिकेश और कुमाँऊ जोन का हल्द्वानी में हैं। ये स्टोर 2009-10 में स्थापित हुए थे। तथापि ये स्टोर पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने भण्डार लेखा तथा लेजर का रखरखाव नहीं किया था। भण्डार का भौतिक सत्यापन इसकी स्थापना से ही नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप कम्पनी के पास भण्डार नियंत्रण का कोई तन्त्र नहीं था।

पाँच वर्षों के दौरान क्षेत्र इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आधार पर कम्पनी द्वारा संकलित अप्रचलित और स्क्रेप सामग्री की कीमत नीचे तालिका 4.2.10 में दिया गया है:

तालिका 4.2.10					(₹ करोड़ में)
विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
आधिक्य/अप्रचलित/असेवायोग्य/स्क्रेप	21.54	21.54	21.55	23.89	23.89

(स्रोत: कम्पनी के पास उपलब्ध आँकड़ों से संकलित सूचना)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि समीक्षा की अवधि में स्क्रेप और अप्रचलित सामग्री के मूल्य में मामूली वृद्धि हुई थी। उपरोक्त रहतियों का समाधान विवरण नहीं बनाया गया था। कम्पनी ने स्क्रेप और अप्रचलित सामग्री के निपटान की कोई कार्यवाही नहीं की थी। स्टोर में बेकार पड़ी सामग्री को अन्य यूनिटों में उपयोग हेतु स्थानान्तरित भी नहीं की गयी थी।

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि स्क्रेप/ आधिक्य/ बेकार/ अचल सामग्री की नीलामी हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

4.2.20.4 बेकार पड़ा कन्डक्टर (राशि ₹ 83.00 लाख)

लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2012) कि 400 के वी काशीपुर लाईन के निर्माणावधि में खण्ड (400 के वी रखरखाव एवं परिचालन काशीपुर) ने 2005-06 में ₹ 83.00 लाख का अल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील प्रवलि (ए सी एस आर) मूस कन्डक्टर का आवश्यकता से अधिक क्रय कर लिया था और यह सितम्बर 2006 से खण्ड के खुले स्थान में बिना उपयोग के पड़ा था।



132 के वी एस एस भुपतवाला, हरिद्वार की बाढ़ के दौरान स्विच यार्ड की फाईल फोटो



132 के वी एस एस भुपतवाला, हरिद्वार की बाढ़ के दौरान की फाईल फोटो

प्रबन्धन ने कहा (दिसम्बर 2012) कि काशीपुर खण्ड में पड़ा कन्डक्टर खुले में पड़ा होने के कारण खराब नहीं होता है और यह बहुत जल्द ही उपयोग में लाया जायेगा। तथापि, यह तथ्य अभी भी है कि छः वर्ष बीतने के बाद भी इसका उपयोग नहीं हो सका था और यह खुले मैदान में पड़ा है।

4.2.21 शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुश्रवण एवं नियन्त्रण

4.2.21.1 कम्पनी राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह के एक विशाल संगठन के मितव्ययितापूर्वक, दक्षतापूर्वक और प्रभावी ढंग से सफल संचालन के लिए प्रचालन सेवा मानकों तथा लक्ष्यों की प्रलेखित प्रबन्धन प्रणाली होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लक्ष्य एवं मानकों के सापेक्ष उपलब्धि को प्रतिवेदित करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) होनी चाहिए। कमियों का उल्लेख करने तथा अगले वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उपलब्धियों के समीक्षा की आवश्यकता होती है। सामान्यतया लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि उसकी उपलब्धि एक संगठन को आत्म निर्भर बनाए।

400/220/132 के वी उपकेन्द्रों का निष्पादन विभिन्न पैरामीटरों यथा अधिकतम और न्यूनतम बोल्टेज स्तर, ब्रेकडाउन, बोल्टेज प्रोफाइल को ग्रिड सहिता मानकों के अनुसार दर्ज/ रखरखाव किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2012) कि उपकेन्द्रों एवं लाइनों के वर्ष वार संचयी निष्पादन का न तो रखरखाव किया जा रहा था और न ही वार्षिक निष्पादन के मूल्यांकन के लिए इसका संकलन ही किया जा रहा था। तथापि, क्षेत्रीय खण्ड, इकाईयों तथा स्थापित यन्त्रों के निष्पादन के सम्बन्ध में मासिक एम आई एस प्रतिवेदने संकलित करते हैं। यद्यपि इन पुस्तिकाओं को कारपोरेट कार्यालयों को अग्रसारित किया जा रहा था लेकिन इन्हें सत्यापन के लिए माहवार एवं वर्षवार नहीं रखा गया था।

इसके अलावा एम आई एस रिपोर्ट से पता चला कि यन्त्रों की सफाई के कार्यक्रम जैसे सर्किट ब्रेकर (सीबीज), तेल बदलने की अगली तिथि, ओन लोड टेप चेंजर का ओपरेशन रखरखाव के कार्य की तिथि, उपकेन्द्र बैटरी का समीक्षा निष्पादन, रिले का निष्पादन, फीडरो के ब्रेक डाउन के कारणों का विश्लेषण इत्यादि का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। कम्पनी के निदेशक मण्डल (बी ओ डी) को उपकेन्द्रों एवं लाइनों के निष्पादन प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा रही थी और व्यवस्था में आगे के सुधार के लिए मासिक/ त्रैमासिक/ वार्षिक स्तर पर उठाये गये कदम यह प्रदर्शित करते थे कि एम आई एस प्रतिवेदन को न्यूनतम महत्व दिया जा रहा था।

इस सम्बन्ध में अच्छे एम आई एस प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है:

- कम्पनी को चाहिए की वह नये उपकेन्द्रों और पारेषण लाइनों के निर्माण तथा पारेषण क्षमता में वृद्धि के लिए मील के पत्थर के आधार पर वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करें।
- कम्पनी को चाहिए कि वह प्रभावी प्रबन्धन के लिए एक उपयुक्त एम आई एस युक्ती जिसमें सब-स्टेशनो की ओवर लोडिंग, लगातार बोल्टेज परिवर्तन और उपकेन्द्रों के लोड साझा परिवर्तन के डाटा संकलित हो तैयार करें।
- निदेशक मण्डल को कम्पनी के सम्पूर्ण प्रचालनात्मक एवं वित्तीय निष्पादन के सम्बन्ध में चर्चा करनी चाहिए।

- कम्पनी को एक रिपोर्ट बनानी चाहिए जो उपकेन्द्रों, लाईनों और यन्त्रों के आवर्ती रखरखाव की पहचान करती हो।
- कम्पनी को भण्डार के उचित उपयोग के लिए एक सूचना तन्त्र विकसित करना चाहिए।

4.2.21.2 पारेषण और वितरण योजनाओं के लाभ की परिकल्पना की समीक्षा

समीक्षा अवधि में कम्पनी ने पाँच अतिरिक्त हाई टेंशन (ई एच टी) उपकेन्द्रों का निर्माण एवं अर्पण और कुल 425.20 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त हाई टेंशन लाइन खड़ा किया था। पारेषण एवं वितरण योजना (टी एण्ड डी) का अनुमोदन करते समय कम्पनी ने नई योजना द्वारा इस रूप में लाभ की परिकल्पना की थी। लाइन हानियों में कमी वोल्टेज स्तर में सुधार एवं भार विधि जैसी उपलब्धि हासिल करनी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने ऐसा कोई तन्त्र/ प्रणाली विकसित नहीं की थी जो टी एण्ड डी योजना लागू होने पर उससे प्राप्त होने वाले लाभों का वास्तव में निर्धारण कर सकें। इसके अतिरिक्त नयी परियोजनाओं के अर्पण के बाद से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों से, प्रतिपुष्टि (फीड बैक) जो आवश्यक थी, प्राप्त नहीं हुई थी।

प्रबंधन ने व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि उपकेन्द्रों और लाइनों के निर्माण से प्रणाली को लाभ हुआ है, जैसा कि प्रणाली में अतिरिक्त लोड चल रहा था और प्रणाली की उपलब्धता 99.5 प्रतिशत से अधिक थी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी ने यह नहीं बताया है कि नया उपकेन्द्रों प्रणाली के लिए कैसे लाभकारी है। नये उपकेन्द्रों तथा लाइनों से प्राप्त लाभ की पुष्टि करने के लिए कम्पनी ने कोई अध्ययन भी नहीं किया था।

4.2.21.3 आन्तरिक नियन्त्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक नियन्त्रण एक प्रक्रिया है जिसकी अभिकल्पना; परिचालन में निपुणता, वित्तीय प्रतिवेदन में विश्वसनीयता एवं आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के समुचित संचालन एवं प्रभावकारिता तथा त्रुटि एवं गबन का पता लगाने के लिए प्रायोग्य विधियों एवं संविधियों का पालन करने में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए की गयी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अगस्त 2012) कि वितरण कम्पनी (यू पी सी एल) से अलग होने से पहले उपमहाप्रबन्धक (वित्त) की अध्यक्षता में इसकी एक अलग आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग थी। जून 2004 को अलग होने के बाद कम्पनी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यद्यपि वर्ष 2006-07 तक यू पी सी एल की आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग कम्पनी की लगातार आन्तरिक लेखापरीक्षा करती रही। कम्पनी ने 30 नवम्बर 2009 को 24वीं बोर्ड बैठक में आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य बाहरी संस्था से कराने का निर्णय लिया था। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य कम्पनी ने बाहर की फर्म³⁹ को ₹ 6.50 लाख वार्षिक के आधार पर दिया था। यद्यपि, यह देखा गया कि बाहरी फर्म द्वारा किया गया आन्तरिक लेखापरीक्षा मानक के अनुसार नहीं था जैसा कि फर्म ने प्रतिवेदन में न तो प्रणाली की खामियों और न ही महत्वपूर्ण आपत्तियों को दर्शाया था और

³⁹ मेसर्स एल.बी.झा एण्ड कम्पनी।

अपने प्रतिवेदन को केवल अंक गणितीय लेखांकन की सीमा तक सीमित रखा और व्यय के औचित्य की अनदेखी की गई।

कम्पनी को स्वयं अपनी लेखापरीक्षा विंग को विकसित करने की आवश्यकता है।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और कहा कि आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग की स्थापना के प्रस्ताव को निदेशक मण्डल के समक्ष पेश किया गया था और यह शीघ्रातिशीघ्र स्थापित हो जाएगा।

4.2.21.4 लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को एक लेखापरीक्षा समिति (ए सी) की स्थापना करनी चाहिए जो कि समय-समय पर लेखापरीक्षकों के साथ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा क्षेत्र सहित लेखापरीक्षक की आपत्ति और अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण, बोर्ड में रखने से पूर्व विचार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली का अनुपालन हो रहा है।

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार लेखापरीक्षा समिति की स्थापना की। कम्पनी अधिनियम के अनुसार लेखापरीक्षा समिति को अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा करनी चाहिए थी। इसका तात्पर्य यह है कि लेखापरीक्षा समिति की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होनी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा परीक्षा में पाया गया (अगस्त 2012) कि पाँच वर्षों की अवधि में लेखापरीक्षा समिति ने कम्पनी अधिनियम के अनुसार 10 बार के बजाय 7 अवसरों पर ही बैठक की थी। लेखापरीक्षा समिति 2007-08 से 2008-09 के दौरान 2 अवसरों पर ही मिली थी। इसके अतिरिक्त धारा 292ए (5) के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षकों को भी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित होना चाहिए, लेकिन इसका एक भी बैठक में अनुपालन नहीं किया गया था।

प्रबन्धन ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकारा (सितम्बर 2012) और व्यक्त किया कि भविष्य के लिए इसे नोट कर लिया गया है।

4.2.22 पर्यावरण प्रबन्धन

4.2.22.1 खतरनाक कचरे का अनुचित निपटान

उपकरण एस एफ 6 सीबी जिसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड प्रयोग होती है, का उपयोग पारेषण उपकेन्द्रों के स्विचिंग उद्देश्यों और ट्रांसफॉर्मरों और लाईनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान एस एफ 6 सीबीज सफेद या भूरी ठोस राख निकालते हैं। इस उत्पाद के सम्पर्क में आने से खुजली और दर्दनाक जलन होती है। अतः इस प्रक्रिया में उत्सर्जित राख, मानव शरीर तथा पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है।

एस एफ 6 सीबी के रखरखाव/ ओवर हॉलिंग की प्रक्रिया के दौरान ठोस राख डिस्पोजेबल सुरक्षात्मक कपड़े, सफाई में प्रयोग होने वाला कपड़ा, साँस लेने वाले फिल्टर ब्रेकर की आणुविक छलनी, गैस कार और वैक्यूम फिल्टर उपकरणों का निपटान करने की उचित आवश्यकता होती है।

सभी सामग्री जो एस एफ 6 सीबी के रखरखाव/ ओवर हालिंग के समय सफाई की प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं को एक 55 गैलन ड्रम में रखकर और उसका निपटान एक खतरनाक कचरे के रूप में किया जाना चाहिए।

लेखा परीक्षा के दौरान 110 एस एफ 6 सीबी जो 6 संचालन एव रखरखाव खण्डों⁴⁰ के 20 उपकेन्द्रों में स्थापित थे कि नमूना जाँच की गयी। इन एस एफ 6 सीबीज की ओवर हालिंग और रखरखाव 2007-08 से 2011-12 के दौरान 6 से 12 अवसरों पर किये जाने के अधीन था। फिर भी यह देखा गया कि कम्पनी ने खतरनाक कचरे के प्रभावी निपटान के लिए कोई तरीका नहीं बनाया था।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा आपत्ति के स्वीकारा (दिसम्बर 2012) और व्यक्त किया कि एस एफ 6 सीबीज का रखरखाव एस एफ 6 गैस चैम्बर को बिना खोले किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार खतरनाक कचरे के निपटान के लिए प्रत्येक उपकेन्द्र पर तन्त्र विकसित किया जायेगा।

4.2.22.2 सुरक्षा उपायों का पालन न करना

राईट ऑफ वे (आर ओ डब्लू), वह वन क्षेत्र जिसमें 132 किलो वोल्ट (केवी) से 400 के वी पारेषण लाइन का निर्माण होता है, के बीच 18 मीटर से 52 मीटर तक की चौड़ाई सीमा होनी चाहिए। इस आर ओ डब्लू में पेड़ों की ऊँचाई चार मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि जंगल को आग के नुकसान और पारेषण हानि से बचाया जा सके।

कम्पनी के पास 2319.20 सर्किट किलोमीटर (सी के एम) लाइन हैं; जिसमें से 785.86 सी के एम लाइन (लगभग 33.87 प्रतिशत) घने जंगली क्षेत्र में पड़ता है एवं इन लाइनों का रखरखाव कम्पनी के साथ परिचालन एवं रखरखाव (ओ एण्ड एम) खण्डों⁴¹ द्वारा किया जा रहा था।

उच्च वोल्टेज तार तथा पेड़ों के टहनियों में टकराने के कारण जंगल में आग लगना बारम्बार होने वाली घटना है।

लेखापरीक्षा ने देखा (सितम्बर 2012) कि कम्पनी की ओ एण्ड एम खण्डों द्वारा गस्त अनिर्धारित तरीके से होती थी, इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि कम्पनी के पास गस्त के सिवाय, लाइनों/ पर्यावरण बचाने, जंगल की हानि बचाने, जीव और वनस्पति को आग से बचाने का कोई और तरीका नहीं था। नियमित गस्त के अभाव में वनस्पति/ पेड़ों की वृद्धि जो आर ओ डब्लू के अन्तर्गत पड़ती है, का सत्यापन नहीं किया गया एवं पेड़ों की लम्बाई एवं जोखिम क्षेत्र की पहचान समय पर न होने के कारण जंगल की आग और पर्यावरण के नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता ।

इसलिए, कम्पनी की रोकथाम के उपाय के लिए वन क्षेत्र में लाइनों के गस्त की एक प्रलेखित कार्य योजना बनानी चाहिए थी।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (दिसम्बर 2012) कि गस्त ओ एण्ड एम मैनुयल के अनुसार की जा रही थी। तथापि, लेखापरीक्षा के सुझाव को दृष्टिगत रखते हुए कम्पनी ने निवारक उपाय के तौर पर वन क्षेत्र में आने वाली लाइनों के गस्त के लिए एक प्रलेखित कार्य योजना बनाने का आश्वासन दिया।

⁴⁰ 400 के.वी ओ एण्ड एम काशीपुर, 132 के.वी ओ एण्ड एम काशीपुर, 220 के.वी ओ एण्ड एम पंतनगर, 220 के.वी ओ एण्ड एम देहरादून, 220 के.वी ओ एण्ड एम रुड़की तथा 220 के.वी ओ एण्ड एम सिडकुल, हरिद्वार।

⁴¹ 132 के वी ओ एण्ड एम अल्मोड़ा, 132 के वी ओ एण्ड एम हल्द्वानी, 400 के वी ओ एण्ड एम काशीपुर, 132 के वी ओ एण्ड एम श्रीनगर, 400 के वी ओ एण्ड एम ऋषिकेश, 220 के वी ओ एण्ड एम देहरादून तथा 220 के वी ओ एण्ड एम ऋषिकेश।

4.2.23 निष्कर्ष

कम्पनी एक किफायती, कुशल और प्रभावी तरीके से उत्तराखण्ड एकीकृत पारेषण परियोजना, स्कीम को लागू करने में विफल रही है। इस योजना की राजस्व क्रियाविधि अभी तक अनसुलझा था। कम्पनी तय पाँच वर्षों की अवधि में परियोजनाओं को पूर्ण करने में असफल रही। योजना और परियोजना प्रबन्धन में कमी के कारण कम्पनी प्रमुख परियोजनाओं के निष्पादन में असामान्य विलम्ब के कारण 7 से 40 महीने की समय वृद्धि हुई। उपकेन्द्रों का निर्माण बिना उचित भार संचलन का अध्ययन के किया गया था। परिणास्वरूप, उपकेन्द्रों का कम उपयोग हुआ। कुछ मामले ट्रांसफॉर्मरों और लाईनों की निर्धारित सीमा से असामान्य ओवर लोडिंग के रहे। 132 किलो वोल्ट (के वी), 220 के वी एवं 400 के वी के कम्पनी के 35 उपकेन्द्रों में से केवल सात उपकेन्द्र, ग्रिड के बचाव एवं सुरक्षा के लिए, रिमोट टर्मिनल इकाई के माध्यम से राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस एल डी सी) से सम्बद्ध किये गये थे। आपदा प्रबन्धन के लिए सुरक्षा उपाय एवं बुनियादी ढाँचा अपर्याप्त थे। 2004-05 से 2010-11 तक की अवधि के लिए टैरिफ ड्रैइंग अप याचिका दायर करने में देरी हुई। कम्पनी ने न तो भण्डार प्रबन्धन के लिए कोई मापदण्ड बनाये थे और न ही स्टॉक की न्यूनतम/ अधिकतम सीमा निर्धारित की थी। हालाँकि कम्पनी को प्रणाली उपलब्धता के रखरखाव पर भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गोल्ड शील्ड से सम्मानित किया गया था। कम्पनी द्वारा जारी सभी बी डी आई निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया गया था। समीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी की पारेषण हानि मापदण्डों के भीतर रही थी।

4.2.24 अनुशंसाएँ

सरकार/ कम्पनी विचार कर सकती है कि:

- इस सुनिश्चित के द्वारा कि ठेका देने से पहले सभी आवश्यक अनुमोदन/सांविधिक मंजूरीयाँ प्राप्त कर ली गई हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब नहीं हैं, एक प्रभावशाली अनुश्रवण प्रणाली प्रस्तावित की जाए;
- समय एवं लागत वृद्धि से बचने के लिए नई योजनाएँ स्वीकार करने से पहले अपूर्ण योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जाए;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि उपकेन्द्रों का निर्माण केवल समुचित भार विश्लेषण के बाद ही किया जाता है;
- ग्रिड कोड के अनुसार राज्य भार प्रेषण केन्द्र का रखरखाव किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनरेटरों और उपकेन्द्रों को ग्रिड की सुरक्षा एवं बचाव के लिए, वास्तविक समय आधार पर दूरस्थ टर्मिनल यूनिट (आर टी यू) द्वारा एस एल डी सी से जोड़ा गया है;
- भण्डार प्रबन्धन प्रणाली के लिए मानक निर्धारित करना जो भण्डार की अधिकतम, न्यूनतम और पुनः आदेश सीमा तय करें;
- आपतकाल की स्थिति में शीघ्र नेटवर्क की बहाली के लिए एक आपदा प्रबन्ध प्रणाली विकसित करना;
- निवारक रखरखाव एवं जोखिम वाले क्षेत्रों की पूर्व में ही पहचान करने के लिए हॉट लाइन खण्डों की स्थापना की जाए; तथा
- निवारक उपाय के रूप में वन क्षेत्र में स्थित लाइनों के गस्त के लिए एक प्रलेखित कार्य योजना विकसित की जाए।

लेन देन लेखापरीक्षा

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड

4.3 ब्याज की हानि

समझौता ज्ञापन का उल्लंघन करते हुए अवशेष राशियों के जमा करने/अन्तरण में विलम्ब तथा कम्पनी की दुर्बल आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के फलस्वरूप ₹ 80.99 लाख के ब्याज की हानि।

उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) और भारतीय स्टेट बैंक (एस बी आई)/पंजाब नेशनल बैंक (पी एन बी) के बीच जुलाई/मई 2003 को, देहरादून में मुख्य बैंक खाता सहित उत्तराखण्ड के विविध जिलों में बैंकिंग व्यापार चलाने हेतु, समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) हस्ताक्षर किए गए थे। एम ओ यू में यह प्रावधान था कि:-

- (i) मुख्य प्राप्ति खाता वह प्राप्ति निधि खाता होगा जिसमें कम्पनी की सभी प्राप्ति और बैंक की शाखाओं में प्राप्ति खाताओं से हस्तान्तरित निधियाँ प्रतिदिन मुख्य व्यय खाता में जमा एवं हस्तान्तरित की जायेगी (उपबन्ध 3.1)।
- (ii) राजस्व संग्रहण में लगे सम्बन्धित खण्डों की सभी प्राप्ति शाखा-प्राप्ति खाते में जमा होनी थी (उपबन्ध 5.2)।
- (iii) खण्ड के शाखा प्राप्ति खातों में जमा सम्पूर्ण शेष राशि, सभी सम्बन्धित बैंक शाखाओं द्वारा प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार और बैंक अवकाश होने पर तुरन्त अगले कार्य दिवस को कार्यशील घंटों की समाप्ति पर विन्डोलास काम्पलैक्स शाखा (एस बी आई) तथा पलटन बाजार (पी एन बी) (एस्लेहाल), देहरादून के मुख्य प्राप्ति खाते में हस्तान्तरित/प्रेषित किए जायेंगे (उपबन्ध 5.3)।
- (iv) धन प्रेषण प्राप्ति शाखाएँ, यू पी सी एल के प्राप्ति खाते में निधि के जमा करने में हुए दिनों की देरी हेतु बैंक के लागू प्राइम लैन्डिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक वार्षिक दर पर ब्याज देने की उत्तरदायी होंगी, जिसकी गणना एम ओ यू के उपबन्ध 5.6 के अनुसार की जायेगी (उपबन्ध 5.7)।

कम्पनी के गोपेश्वर खण्ड की नमूना जाँच (जनवरी 2012) में पाया गया कि शाखा प्राप्ति खातों की शेष राशियों को कम्पनी के मुख्य प्राप्ति खाते में हस्तान्तरित करने में एक दिन से तीस दिन तक की देरी हुई थी। हरिद्वार खण्ड (शहरी) एवं हरिद्वार खण्ड (ग्रामीण) से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार भी निधियों के हस्तान्तरण में देरी पाई गई थी, जिससे यह भी दर्शित है कि देरी अप्रैल 2009 से थी तथा खण्डों द्वारा प्रभावी कदम उठाने के बावजूद भी बैंक ने ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि बैंक विवरण का नियमित मिलान करने में खण्ड असफल रहे थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी का मुख्यालय इस मामले को समय पर बैंक के साथ नहीं उठा सका, जो कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा और कहा (दिसम्बर 2012) कि ब्याज की धनराशि जो बैंक पर देय है की वसूली की कार्यवाही की जा चुकी है और इसके अतिरिक्त सभी वितरण खण्डों को अनुदेश दे दिये गये हैं कि वे एम ओ यू के अनुसार निधियों का नियमित प्रेषण सुनिश्चित करें और पिछले तीन वर्षों के ब्याज की राशि मुख्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराएँ, यदि कोई है तो। यद्यपि कम्पनी के हरिद्वार खण्ड ने बैंक से प्रारम्भ में ब्याज का दावा (अगस्त 2011) किया था, जिसे कि बाद में (दिसम्बर 2012) पुनरीक्षित किया परन्तु बैंक से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। यह तथ्य कि खण्ड/कम्पनी एम ओ यू

के उपबन्ध 5.6 एवं 5.7 को प्रभावी रूप से लागू कर पाने में असफल रहे थे जिसके कारणवश ₹ 80.99 लाख⁴² के ब्याज राशि की हानि हुई।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (सितम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2012)।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

4.4 ₹ 3.14 करोड़ की परिहार्य हानि

भूखण्ड आबंटन के नियमों एवं शर्तों के अनुसार आवंटित भूखण्ड को निरस्त करने में कम्पनी के असफल रहने एवं अक्टूबर 2009 की निर्धारित दर से अन्य क्रेता को भूखण्ड आबंटन न करने के फलस्वरूप कम्पनी को ₹ 3.14 करोड़ की हानि।

उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना व फलतः अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन एवं राज्य के घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि करना तथा राज्य के संसाधन आधार का महत्वपूर्ण विस्तार करना था।

कम्पनी द्वारा, निर्धारित की गई नीति में विहित भूखण्ड आबंटन से संबंधित नियमों एवं शर्तों के प्रावधान के अनुसार आवंटि को अधिकतम दो वर्ष की समयावधि के अन्दर फैक्ट्री भवन का निर्माण कार्य तथा यंत्र व मशीनरी संस्थापित कर व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा, जिसमें असफल होने पर जमा राशि की जब्ति सहित भूखण्ड का आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा। कम्पनी ने फार्मास्यूटीकल्स उत्पाद बनाने हेतु एक प्राइवेट कम्पनी⁴³ (आवंटी) को फार्मासिटी, सैलाकुई, देहरादून में 8,092 वर्ग मीटर भूखण्ड ₹ 76.47 लाख की लागत पर (मई 2005) आवंटित किया। भूखण्ड आबंटन पत्र की शर्त 8 के अनुसार भूखण्ड की लागत का अद्यतन भुगतान प्राप्ति एवं लीज डीड के सम्पादन के बाद ही भूखण्ड का कब्जा हस्तान्तरित होगा। आवंटि को वचनबद्धता भी देनी थी कि लीज डीड को सम्पादित करने तथा अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बाद भूखण्ड का कब्जा भूखण्ड आबंटन के 60 दिन के अन्दर ले लिया जायेगा।

लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2012) में पाया गया कि कम्पनी ने आबंटन पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एवं आवंटि द्वारा दी गई वचनबद्धता की अनदेखी करते हुए लीज डीड सम्पादित किये बिना ही सितम्बर 2005 (19.09.2005) में भूखण्ड का कब्जा दे दिया। जबकि लीजडीड तब तक (नवम्बर 2012) सम्पादित नहीं की गई थी, यह भी देखा गया कि आबंटन के छः वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी न तो अवशेष प्रीमियम ₹ 28.66 लाख कम्पनी ने आवंटि से वसूल किए और ना ही फैक्ट्री भवन का निर्माण किया (नवम्बर 2012) गया था। कम्पनी के निरीक्षण प्रतिवेदन (सितम्बर 2011) के अनुसार, केवल आर आर सी कालम एवं प्रथम तल की सीढ़ी के ही निर्माण किए गए थे। लेखापरीक्षा द्वारा स्थल के भौतिक निरीक्षण (नवम्बर 2012) पर पाया गया था कि कम्पनी के आखिरी निरीक्षण प्रतिवेदन (सितम्बर 2011) के बाद से कोई भी प्रगति नहीं हुई थी।

आबंटन पत्र के नियम व शर्तों के अनुसार फैक्ट्री भवन का निर्माण कार्य दो वर्ष अर्थात मई 2007 तक पूर्ण हो जाना चाहिए था तथा उसके बाद व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन निर्धारित अवधि में फैक्ट्री भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण, कम्पनी द्वारा भूखण्ड का निरस्तीकरण पत्र निर्गत किए बिना ही जमा राशि ₹ 37.15 लाख आवंटि को नवम्बर 2007 में वापस कर दी। निरस्तीकरण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के आधार पर आवंटि ने उक्त राशि कम्पनी को नवम्बर 2007 में ही वापस कर दी थी। इसके बाद कम्पनी ने भूखण्ड के आबंटन को रद्द करने के लिए अन्तिम निरस्तीकरण नोटिस (मई 2010) आवंटि को प्रेषित किया। तत्पश्चात् भूखण्ड के निरस्तीकरण के लिए एक दूसरा नोटिस आवंटि को जारी किया गया (अक्टूबर 2011), किन्तु नवम्बर 2012 तक भूखण्ड आबंटन को निरस्त नहीं किया गया।

⁴² गोपेश्वर खण्ड-₹ 14.03 लाख, हरिद्वार (शहरी)-₹ 27.02 लाख और हरिद्वार ग्रामीण-₹ 39.94 लाख।

⁴³ मैसर्स सैंगफ्रॉइड इन्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड।

यद्यपि कम्पनी की नीति, नियम व शर्तों के अनुसार मई 2007 में भूखण्ड का आबंटन निरस्त हो जाना चाहिए था और समस्त जमाराशि जव्त करते हुए भूखण्ड को बोली लगाने की प्रक्रिया के जरिए नीलामी कर लेना चाहिए था।

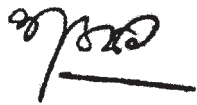
इस प्रकार, भूखण्ड निरस्त न करने के कारण, अक्टूबर 2009 की दर के अनुसार कम्पनी को ₹ 3.14 करोड़⁴⁴ की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, कुल ₹ 62.92 लाख (अवशेष प्रीमियम सहित ₹ 28.66 लाख और ब्याज ₹ 23.80 लाख, शेष लीज किराया और सर्विस टैक्स ₹ 3.48 लाख और रखरखाव व्यय ₹ 6.98 लाख) आवंटि पर देय थे (नवम्बर 2012)। इसके अतिरिक्त कम्पनी का उद्देश्य जोकि राज्य का औद्योगीकरण व इसके जरिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन करना था, अपूर्ण रहे।

इसे इंगित करने (जनवरी 2012) पर कम्पनी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (अप्रैल 2012) कहा कि आवंटि द्वारा फैक्ट्री के निर्माण में ₹ 50.75 लाख खर्च किये जाने के कारण कम्पनी ने भूखण्ड निरस्त नहीं किया। अब भूखण्ड का निरस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा भूखण्ड के पुनः आबंटन पर अक्टूबर 2009 में निश्चित दर के अनुसार, ₹ 3.14 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था क्योंकि भूखण्ड के निरस्तीकरण या पुनः आबंटन के पक्ष में लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने आवंटि से नवम्बर 2012 तक अवशेष प्रीमियम ₹ 28.66 लाख और ब्याज ₹ 23.80 लाख भी वसूल नहीं किया।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (नवम्बर 2012); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2012)।

देहरादून
दिनांक


(अश्विनी अत्रि)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक


(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

⁴⁴ भूखण्ड क्षेत्र = 8092 मी x @ ₹ 3875 प्रति मीटर (अक्टूबर 2009 में कम्पनी द्वारा निर्धारित दर) = ₹ 3.14 करोड़।